

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 26, शक 1943

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 3-106-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-106-2021-अठारह-5, दिनांक 8 दिसम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal the 8th December 2021

F-3-106/2021/18-5:-In exercise of the powers conferred by section 84 read with sub-clause (iv) of clause (g) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) In rule 2, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(fa) ‘Code’ means the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) as amended from time to time;

(fb) “Consultant” includes any person not in the employment of the Tribunal who may be appointed to assist the Tribunal on any matter required to be dealt with by the Tribunal under the Act, Rules and Regulation thereunder.”;

(2) For Form-L, the following Form shall be substituted, namely :-

“FORM-L

[see rule 33 (2)]

APPEAL TO APPELLATE TRIBUNAL

Appeal under section 44 of the Act

Every appeal shall be filed in English and in case it is in some other Indian language, it shall be accompanied by a copy translated in English and shall be fairly and legibly type-

written, lithographed or printed in double spacing on one side of standard petition paper with an inner margin of about four centimeters width on top and with a right margin on 2.5 cm, and left margin of 5 cm, duly paginated, indexed and stitched together in paper book form.

For use of Appellate Tribunal office:

Date of filing: _____

Date of receipt by post: _____

Registration No.: _____ Signature: _____

Registrar: _____

IN THE REAL ESTATE APPELLATE TRIBUNAL (Name of place)

Between

_____ Appellant(s)

And

_____ Respondent(s)

Details of appeal:

1. Particulars of the appellants:
 - (i) Name(s) of the appellant:
 - (ii) Address of the existing office/residence of the appellant:
 - (iii) Address for service of all notices:
 - (iv) E-mail address with cell phone and Fax No.
2. Particulars of the respondents:
 - (i) Name(s) of respondent:
 - (ii) Office address of the respondent:
 - (iii) Address for service of all notices:
 - (iv) E-mail address with cell phone and Fax No.
3. Jurisdiction of the Appellate Tribunal:

The appellant declares that the subject matter of the appeal falls within the jurisdiction of the Appellate Tribunal.
4. Limitation:

The appellant declares that the appeal is within the limitation specified in sub-section (2) of section 44.

OR

If the appeal is filed after the expiry of the limitation period specified under sub-section (2) of section 44 specify reason for delay.....

5. Facts of the case:

(give, a concise statement of facts and grounds of appeal against the specific order of regulatory authority or the adjudicating officer, as the case may be passed under section(s)of the Act.

6. Relief(s) sought:

In view of the facts mentioned in paragraph 5 above, the appellant prays for the following relief(s).....

[specify below the relief(s) sought explaining the grounds of relief(s) and the legal provisions (if any) relied upon]

7. Interim order, if prayed for:

Pending final decision on the appeal the appellant seeks issue of the following interim order:

[Give here the nature of the interim order prayed for with reasons]

8. Matter not pending with any other court, etc.:

The appellant further declares that the matter regarding which this appeal has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal(s).

9. Particulars of bank draft in receipt of the fee in terms of sub-rule (1) of rule 33:

- (i) Amount Rs.5,000/-;
- (ii) Name of the bank on which drawn;
- (iii) Demand draft number and date.

10. List of enclosures:

- (i) An attested true copy of the order(s) against which the appeal is filed;
- (ii) Copies of the documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal;
- (iii) An index of the documents.

Verification

I.....(name in full block letters) son/daughter/wife ofthe appellant do hereby verify that the contents of paragraphs (1 to 10) are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact(s).

Place:

Date:

Signature of the appellant(s)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचमतल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल दिनांक 14 दिसम्बर 2021

क्रमांक -1961/मप्रविनिआ/2021 विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 39(2)(घ), 40 (ग), 42 (2) एवं (3), 86 (1) (ग) के साथ पठित धारा 181(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है ; अर्थात्:-

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुँच के लिए निबन्धन तथा शर्तों) विनियम, (पुनरीक्षण-प्रथम), 2021

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार तथा प्रयोज्यता। -

(एक) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुँच के लिए निबन्धन तथा शर्तों) विनियम, 2021 (पुनरीक्षण-प्रथम) {आरजी-24(I) वर्ष 2021}" है।

(दो) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(तीन) ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में लागू होंगे। अन्तर्राज्यिक पारेषण प्रणाली तथा/अथवा राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों की वितरण प्रणालियों के उपयोग हेतु निर्बाध (खुली) पहुँच के क्रेताओं को मय ऐसी प्रणाली सहित जो अन्तर्राज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ संयुक्त रूप में उपयोग में लाई जा रही हो, लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.-

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(एक) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) तथा उसमें अनुवर्ती संशोधन ;

(दो) "आवंटित वितरण क्षमता" से अभिप्रेत है, सामान्य परिस्थितियों में वितरण प्रणाली पर कतिपय दीर्घ-अवधि क्रेताओं तथा मध्यम-अवधि क्रेताओं को अन्तःक्षेप (इन्जेक्शन) के विनिर्दिष्ट बिन्दुओं (पॉइंट्स) तथा आहरण के विनिर्दिष्ट बिन्दुओं के मध्य ऊर्जा के अन्तरण (मेगावाट में) हेतु प्रदान की गई अनुमति जो अनुबंधित की गई हो तथा अभिव्यक्ति "वितरण क्षमता का आवंटन" की व्याख्या तदनुसार की जाएगी ;

(तीन) "आवंटित पारेषण क्षमता" से अभिप्रेत है, सामान्य परिस्थितियों में राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली पर दीर्घ-अवधि क्रेताओं तथा मध्यम-अवधि

क्रेताओं को अन्तःक्षेप (इन्जेक्शन) के विनिर्दिष्ट बिन्दुओं तथा आहरण के विनिर्दिष्ट बिन्दुओं के मध्य ऊर्जा के अन्तरण (मेगावाट में) हेतु प्रदान की गई अनुमति जो अनुबंधित की गई हो तथा अभिव्यक्ति "पारेषण क्षमता का आवंटन" की व्याख्या तदनुसार की जाएगी ;

(चार) "संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता" से अभिप्रेत है समय-समय पर यथासंशोधित, मध्यप्रदेश संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 अथवा उसका कोई अनुवर्ती पुनरीक्षण;

(पांच) "थोक ऊर्जा पारेषण अनुबन्ध" से अभिप्रेत है, एक निष्पादित अनुबन्ध जिसमें ऐसी निबन्धन तथा शर्तें सम्मिलित की गई हैं जिसके अधीन एक निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता कतिपय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली तक पहुँच हेतु प्राधिकृत है ;

(छह) "थोक ऊर्जा चक्रण अनुबन्ध" से अभिप्रेत है, एक निष्पादित अनुबन्ध जिसमें ऐसी निबन्धन तथा शर्तें सम्मिलित की गई हैं जिसके अधीन एक निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता कतिपय वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली तक पहुँच हेतु प्राधिकृत है ;

(सात) "केन्द्रीय आयोग" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट किया गया है ;

(आठ) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ;

(नौ) "दिवस" से अभिप्रेत है, एक दिवस जो 00.00 बजे से प्रारंभ होकर 24.00 बजे समाप्त होता है ;

(दस) "भारतीय विद्युत् ग्रिड कोड (आईईजीसी)" से अभिप्रेत है, ग्रिड संहिता जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अधीन केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ग्यारह) "मध्यप्रदेश विद्युत् ग्रिड संहिता (एमपीईजीसी)" से अभिप्रेत है, राज्य ग्रिड संहिता जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(बारह) "माह" से अभिप्रेत है, ब्रिटिश कैलेण्डर अनुसार एक कैलेण्डर माह ;

(तेरह) "समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी)" से अभिप्रेत है, समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 8.1 में परिभाषित किया गया है ;

(चौदह) "निर्बाध (खुली) पहुँच" से अभिप्रेत है, पारेषण लाइनों या वितरण प्रणाली या ऐसी लाइनों या प्रणाली सहित सहयुक्त सुविधाओं के किसी

अनुज्ञापिधारी या उपभोक्ता या समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार विद्युत् उत्पादन में लगे किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग की अविभेदकारी व्यवस्था ;

- (पन्द्रह) "निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता" से अभिप्रेत है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे इन विनियमों के अधीन किसी अन्य व्यक्ति से विद्युत् प्राप्ति हेतु अनुमति प्रदान की गई हो, केवल उन्हें छोड़कर जो उसके प्रदाय क्षेत्र का वितरण अनुज्ञापिधारी हो अथवा उत्पादन कंपनी {आबद्ध (कैपिटव) उत्पादन कंपनी को सम्मिलित कर} हो अथवा अनुज्ञापिधारी हो जिसके द्वारा निर्बाध (खुली) पहुँच प्रणाली की सुविधा प्राप्त कर ली गई हो अथवा उसकी प्राप्ति का इच्छुक हो ;
- (सोलह) "आहरण बिन्दु (पाईट ऑफ ड्रावल)" से अभिप्रेत है, एक संयोजन जिस पर विद्युत् पारेषण तन्त्र (नेटवर्क) अथवा विद्युत् वितरण तन्त्र (नेटवर्क) से (यथास्थिति), अंतरित की जाती हो ;
- (सत्रह) "अन्तःक्षेप बिन्दु (पाईट ऑफ इन्जेक्शन)" से अभिप्रेत है, एक संयोजन जिस पर विद्युत् पारेषण तन्त्र (नेटवर्क) अथवा विद्युत् वितरण तन्त्र (नेटवर्क) की ओर (यथास्थिति) अंतरित की जाती हो ;
- (अठारह) "आरक्षित वितरण क्षमता" से अभिप्रेत है, वितरण क्षमता की उपलब्धता होने पर निर्भर वितरण प्रणाली के कतिपय लघु-अवधि क्रेता को विनिर्दिष्ट अन्तःक्षेप बिन्दु(ओं) तथा आहरण बिन्दु(ओं) के मध्य ऊर्जा अन्तरण हेतु प्रदान की गई अनुमति (मेगावाट में) तथा अभिव्यक्ति "वितरण क्षमता का आरक्षण" की व्याख्या तदनुसार की जाएगी ;
- (उन्नीस) "आरक्षित पारेषण क्षमता" से अभिप्रेत है, पारेषण क्षमता की उपलब्धता होने पर निर्भर पारेषण प्रणाली के कतिपय लघु-अवधि क्रेता को विनिर्दिष्ट अन्तःक्षेप बिन्दु(ओं) तथा आहरण बिन्दु(ओं) के मध्य ऊर्जा अन्तरण हेतु प्रदान की गई अनुमति (मेगावाट में) तथा अभिव्यक्ति "पारेषण क्षमता का आरक्षण" की व्याख्या तदनुसार की जाएगी ;
- (बीस) "राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)" से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र जैसा कि विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन इसे स्थापित किया गया है ;

(इक्कीस) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य ;

(बाईस) "अप्रयुक्त पारेषण क्षमता" से अभिप्रेत है, राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली में पारेषण क्षमता, जो विनियम 11 के अनुसार दीर्घ-अवधि क्रेता द्वारा पहुँच अधिकारों के त्याग दिये जाने के कारण अप्रयुक्त शेष रह जाती है ;

(तेईस) "कार्य दिवस" से अभिप्रेत है, ऐसा दिवस जब राज्य भार प्रेषण केन्द्र/अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यालय (यथास्थिति) व्यवसाय हेतु खुले रहते हों।

2.2 उन शब्दों और अभिव्यक्तियों जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

निर्बाध (खुली) पहुँच की पात्रता तथा पालन की जाने वाली शर्तें.—

3.1 इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यक्षीन निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता को राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा (एसटीयू) अथवा अन्य किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की अन्तर्राज्यिक पारेषण प्रणाली अथवा किसी अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी की राज्यान्तरिक वितरण प्रणाली हेतु निर्बाध (खुली) पहुँच की पात्रता होगी।

3.2 ऐसी निर्बाध (खुली) पहुँच किसी निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ता को इस प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा तैयार किए गए अनुप्रयोज्य विनियमों को लागू करने के अनुसार ऐसे प्रभारों के भुगतान पर उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

3.3 इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, निर्बाध (खुली) पहुँच एक मेगावाट तथा इससे अधिक क्षमता के लिए निर्बाध (खुली) पहुँच की मांग उपयोगकर्ताओं हेतु अनुज्ञेय होगी :

परन्तु यह कि जब कोई व्यक्ति, जिसके द्वारा आबद्ध (कैप्टिव) उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है, अपने स्वयं के उपयोग हेतु गंतव्य स्थान तक विद्युत् ले जाने हेतु चयन करता हो तो एक मेगावाट की परिसीमा लागू न होगी:

परन्तु यह और कि नवीकरणीय विद्युत् उत्पादकों एवं उपयोगकर्ताओं को निर्बाध (खुली) पहुँच क्षमता सीमा पर सोच-विचार किए बिना उपलब्ध कराई जाएगी जो अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली में परिचालन संबंधी बाध्यताओं के अध्यक्षीन न होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां समय-समय पर, यथासशोधित, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 के अनुसार शुद्ध मापन (नेट मीटरिंग) की सुविधा उपलब्ध कराई गई हो, वहां विद्युत् पारेषण और/या विद्युत् के चक्रण हेतु निर्बाध (खुली) पहुँच की अनुमति ऐसे परिसरों के लिए प्रदान नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ता यदि वे मिश्रित संभरक के माध्यम से पोषित होते हैं तो भी निर्बाध (खुली) पहुँच इस शर्त के अधीन उपलब्ध कराई जाएगी कि वे प्रणाली की बाध्यताओं को स्वीकार करेंगे। ऐसे प्रकरणों में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी का कर्तव्य अधिनियम की धारा 42(3) के अनुसार अविभेदकारी निर्बाध (खुली) पहुँच प्रदान करने वाले सामान्य संवाहक के बतौर होगा :

परन्तु यह और भी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय बकाया देय राशि के कारण दिवालिया तथा/या शोधन अक्षम घोषित कर दिया गया हो या फिर वितरण/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या फिर राज्य भार प्रेषण केन्द्र के देयकों (बिलों) का भुगतान दो माह से अधिक अवधि के लिए लम्बित हो, को निर्बाध (खुली) पहुँच की पात्रता नहीं होगी।

- 3.4 आयोग ऐसे क्रेताओं/उपयोगकर्ताओं जिनकी आवश्यकता 1 मेगावाट से कम है, पारम्परिक स्रोतों से निर्बाध (खुली) पहुँच की अनुमति ऐसे समय पर जब वह परिचालन की परिस्थितियों एवं अन्य कारकों को दृष्टिगत रखते हुए व्यावहारिक समझे, प्रदान कर सकेगा।
- 3.5 इन विनियमों के प्रवृत्त होने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अपने विद्यमान तथा भावी क्रेताओं की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के तन्त्र (नेटवर्क) तक पहुँच हेतु संविदाओं/अनुबंधों के माध्यम से व्यवस्थाएं करना होंगी।

4. विद्यमान इकाइयों हेतु उपबंध.—

अ. विद्यमान वितरण एवं व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी

- 4.1 राज्य में पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी एवं व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से कतिपय विद्यमान अनुबंध अथवा व्यवस्था के अधीन निर्बाध (खुली) पहुँच व्यवस्था द्वारा ऐसी पारेषण तथा वितरण प्रणाली पर उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों द्वारा विद्यमान अनुबंध अथवा व्यवस्था के अधीन पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों तथा अन्य प्रभारों के भुगतान पर जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए, जारी रखेंगे।

- 4.2 इन विनियमों के प्रवृत्त होने पर विद्यमान वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारियों को उनके विद्यमान तथा भावी उपभोक्ताओं की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के तन्त्र (नेटवर्क) तक पहुँच हेतु स्थाई व्यवस्थाएं/अनुबंध भी निष्पादित करने होंगे। ये वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के प्रवृत्त होने के 60 दिवस की अवधि के भीतर राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को ऐसे विवरण जो उपयोग की गई क्षमता अन्तःक्षेप बिन्दु, आहरण बिन्दु, खुली पहुँच उपलब्ध कराई जाने की अवधि, शीर्ष भार (पीक लोड) औसत भार या ऐसी अन्य जानकारियां जैसा कि वे राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/या राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु अपेक्षित होगी, तक ही प्रदाय हेतु सीमित न होगी, तथा ऐसे उपयोग हेतु निबन्धन तथा शर्तें भी प्रदान करेंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त जानकारी आयोग को भी प्रस्तुत करेंगे।

ब. विद्यमान क्रेता तथा विद्युत् उत्पादक.—

- 4.3 विद्यमान क्रेता अथवा विद्युत् उत्पादन कंपनियां मय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिन्हें इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से अनुबंधों के अधीन निर्बाध (खुली) पहुँच उपलब्ध होगी, कतिपय ऐसी पारेषण तथा वितरण प्रणाली पर समान निबन्धन एवं शर्तों के अंतर्गत पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों तथा अन्य प्रभारों जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, को निर्बाध (खुली) पहुँच जारी रखने की पात्रता होगी। वे राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उपयोग की गई क्षमता, अन्तःक्षेप बिन्दु, आहरण बिन्दु, खुली पहुँच उपलब्ध कराई जाने की अवधि, शीर्ष भार (पीक लोड) औसत भार संबंधी विवरण या ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अपेक्षित होगी, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेंगे।
- 4.4 विद्यमान क्रेता अथवा विद्युत् उत्पादन कंपनियों को उपरोक्त विनियम 4.3 के अधीन इन विनियमों के अधीन निर्धारित निबन्धन एवं शर्तों के अन्तर्गत निर्बाध (खुली) पहुँच की उपलब्धि जारी रहेगी। ऐसी सुविधा हेतु प्रयोज्य पारेषण प्रभार, चक्रण प्रभार तथा अन्य प्रभार आयोग द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएंगे।

5. खुली पहुँच क्रेताओं का वर्गीकरण.—

- 5.1 निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेताओं को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा:
- (एक) दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता : एक निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता जिसे पांच वर्ष से अधिक की अवधि हेतु राज्यान्तरिक निर्बाध (खुली) पहुँच की सुविधा प्राप्त हो, एक दीर्घ-अवधि खुली पहुँच क्रेता कहलाएगा:

परन्तु यह कि राज्य पारेषण प्रणाली के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा संचालित राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई प्रणाली के विद्यमान हितग्राहियों को इन विनियमों के प्रयोजन के लिए राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई द्वारा स्वामित्व अथवा संचालित प्रणाली का दीर्घ-अवधि क्रेता माना जाएगा।

- (दो) मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता : एक निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता जिसे तीन माह से अधिक की अवधि से पांच वर्ष की अवधि तक राज्यान्तरिक निर्बाध (खुली) पहुँच की सुविधा प्राप्त हो, एक मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता कहलाएगा।
- (तीन) लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता : एक निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता जिसे एक बार में तीन माह की अवधि तक राज्यान्तरिक निर्बाध (खुली) पहुँच की सुविधा प्राप्त हो, एक लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता कहलाएगा।

आवंटन प्राथमिकता.-

- 6.1 निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु अनुमति के लिए आवंटन प्राथमिकता का निर्णय निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम में विनिश्चय किया जाएगा :
- (एक) वितरण अनुज्ञप्तिधारी {इस बात पर विचार किए बगैर कि निर्बाध (खुली) पहुँच दीर्घ-अवधि, मध्यम-अवधि या लघु-अवधि हेतु चाही गई है} ;
- (दो) अन्य दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच आवेदक ;
- (तीन) अन्य मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच आवेदक ;
- (चार) अन्य लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच आवेदक :

परन्तु यह कि निर्बाध (खुली) पहुँच की समान अवधि हेतु एक-समान तारीख पर प्राप्त किए गए दो या दो से अधिक आवेदनों को आवंटन हेतु एक-समान माना जाएगा तथा यदि समस्त आवेदनों को समायोजित करने हेतु उपलब्ध क्षमता अपर्याप्त हो तो आवेदकों को शेयरों का आवंटन उनके द्वारा आवेदित क्षमताओं के अनुपात में किया जाएगा।

- 6.2 उपरोक्त खण्डों के अध्यक्षीन रहते हुए दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच तथा मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच अनुमति हेतु विनिश्चय करने का आधार 'प्रथम आओ-प्रथम पाओ' होगा।

6.3 उपरोक्त खण्डों के अध्यक्षीन रहते हुए लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच अनुमति हेतु विनिश्चय करने का आधार, यथास्थिति, 'प्रथम आओ-प्रथम पाओ' अथवा बोली प्रक्रिया होगा।

निर्बाध (खुली) पहुँच की अनुमति के लिए मानदण्ड.-

7.1 पारेषण निर्बाध (खुली) पहुँच : अन्तर्संयोजन (इंटरकनेक्शन) की वोल्टेज समय-समय पर यथासंशोधित पुनरीक्षित मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2021 के अनुसार होगी।

7.2 दीर्घ-अवधि पहुँच, मध्यम-अवधि पहुँच हेतु अनुमति समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् ग्रिड संहिता, 2019 के पारेषण नियोजन मानदण्ड के अनुसार अनुमति प्रदान की जाएगी।

7.3 यदि अनुरोध का समायोजन निम्न के उपयोग द्वारा किया जा सके, तो लघु-अवधि पहुँच हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी :

- अन्तर्निहित रूपांकन गुंजाइशें (इनहेरेन्ट डिजाईन मार्जिन्स) ;
- ऊर्जा प्रवाहों में अन्तर के कारण उपलब्ध गुंजाइशें ; एवं
- भविष्य में भार में होने वाली वृद्धि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सृजित की गई अतिरिक्त पारेषण क्षमता के कारण उपलब्ध गुंजाइशें।

7.4 वितरण निर्बाध (खुली) पहुँच : अन्तर्संयोजन (इंटरकनेक्शन) की वोल्टेज समय-समय पर यथासंशोधित पुनरीक्षित मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय संहिता, 2021 के अनुसार होगी।

7.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी प्रणाली की निर्बाध (खुली) पहुँच की सुविधा का विस्तार इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार करेगा तथा ऐसी आपूर्ति के बारे में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य एक संयुक्त संवाहक के रूप में होंगे, जो अविभेदकारी निर्बाध (खुली) पहुँच व्यवस्था उपलब्ध करा रहा हो।

निर्बाध (खुली) पहुँच प्राप्ति की प्रक्रिया.-

8.1 समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) :

(एक) समस्त प्रकारों की दीर्घ-अवधि पहुँच और मध्यम-अवधि पहुँच, जैसे कि पारेषण या वितरण या फिर दोनों की संयोजन व्यवस्था का समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी), राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई

(एसटीयू) होगा जो किसी अधिकारी, जिसका पद अधीक्षण यंत्री पद से कम न होगा, को निर्बाध (खुली) पहुँच आवेदनों को प्रक्रिया हेतु नामनिर्दिष्ट करेगा।

- (दो) समस्त प्रकारों की लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच जैसे कि पारेषण या वितरण या दोनों की संयोजन व्यवस्था का समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) राज्य भार प्रेषण केन्द्र जो किसी अधिकारी, जिसका पद अधीक्षण यंत्री से कम नहीं होगा, को निर्बाध (खुली) पहुँच आवेदनों की प्रक्रिया करने हेतु नामनिर्दिष्ट करेगा।
- (तीन) राज्य में क्रियाशील अनुज्ञप्तिधारी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी ऐसे अधिकारियों जिनका पद अधीक्षण यंत्री से कम नहीं होगा, को राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) से प्राप्त किए गए निर्बाध (खुली) पहुँच आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए नामांकित करेंगे।
- (चार) राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू), राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए ऐसे अधिकारियों के नाम तथा उनके सम्पर्क विवरण आयोग को सूचित किए जाएंगे तथा ये सभी राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू), राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा अनुज्ञप्तिधारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
- (पांच) समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) यथा, राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, इन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे तथा इस प्रयोजन हेतु आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे।

8.2 दिशा-निर्देश.-

अन्तर्राज्यिक खुली पहुँच विनियम, 2005 के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू)/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। कोई भी क्रियाविधि जिसे इन पुनरीक्षित विनियमों के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित किया जाना अपेक्षित हो, को आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

8.3 आवेदन प्रक्रिया.-

- (एक) निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता इन विनियमों के (परिशिष्ट-एक) के साथ उपबंधित प्ररूप में आवेदन समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) को

प्रस्तुत करेगा। समन्वय अभिकरण को अतिरिक्त जानकारी चाहे जाने का, जैसा कि आवश्यक हो, अधिकार होगा। समन्वयन अभिकरण पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन मय देय शुल्क की अभिस्वीकृति (पावती) आवेदक (पक्ष) को उसकी प्राप्ति के एक कार्य दिवस के भीतर पक्षकार को प्रदान करेगा।

- (दो) एक क्रेता जो निर्बाध (खुली) पहुँच का इच्छुक है, अपने आवेदन की एक प्रति वितरण अनुज्ञप्तिधारी जो उसे विद्युत् प्रदाय कर रहा है, या फिर जिसके प्रदाय क्षेत्र में आहरण बिन्दु अवस्थित है, को भी प्रस्तुत करेगा।
- (तीन) दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच के इच्छुक क्रेता को अपने आवेदन के साथ (अप्रत्यर्पणीय/अप्रतिदेय) मात्र रू. 1,00,000/- (रूपए एक लाख) के आवेदन शुल्क जो राज्य जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) को देय होगा, जबकि मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच के इच्छुक क्रेता को आवेदन के साथ, मात्र रू. 50,000/- (रूपए पचास हजार) (अप्रत्यर्पणीय/अप्रतिदेय) का आवेदन शुल्क, जो राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) को देय होगा तथा लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच के इच्छुक क्रेता को आवेदन के साथ मात्र रू. 5000/- (रूपए पांच हजार) (अप्रत्यर्पणीय/अप्रतिदेय) का आवेदन शुल्क जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय होगा, आवेदन शुल्क, डिमाण्ड ड्राफ्ट के प्ररूप में या फिर इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण (ट्रांसफर) के माध्यम से देय होगा।
- (चार) फ़ैक्स/इलेक्ट्रॉनिक ई-मेल के माध्यम से प्राप्त आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।
- (पांच) समन्वय अभिकरण (नोडल एजेन्सी) आवेदन की एक प्रति पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को जो विद्युत् प्रदाय कर रहा है, अथवा जिसके प्रदाय क्षेत्र में आहरण बिन्दु अवस्थित है, को भी अग्रेषित करेगा।

8.4 दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच एवं मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच की प्रक्रिया.-

- (एक) निष्पादित प्रणाली अध्ययन तथा अन्य सन्निहित अभिकरणों, अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को सम्मिलित करते हुए, से परामर्श के आधार पर समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी), अर्थात् राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच अथवा मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु प्राप्त किए गए आवेदन की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर आवेदक को यह सूचित करेगा कि क्या प्रणाली में सुदृढीकरण किए बगैर दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली)

पहुँच तथा मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच की अनुमति प्रदान की जा सकेगी या नहीं :

परन्तु जहां दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच तथा मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु आगे बिना प्रणाली सुदृढीकरण के अनुमति प्रदान की जा सकती हो, वहां इसे बिना विलंब किए वाणिज्यिक अनुबंध निष्पादन द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।

दो) यदि, राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) के मतानुसार, दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच या मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच प्रदान किए जाने के पूर्व प्रणाली का सुदृढीकरण किया जाना अत्यावश्यक है, तो आवेदक राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) को प्रणाली सुदृढीकरण हेतु लागत प्राक्कलन एवं कार्य पूरे किए जाने का कार्यक्रम (शेड्यूल) तैयार किए जाने के प्रयोजन से राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) को प्रणाली अध्ययन एवं प्रारंभिक अन्वेषण (जांच-पड़ताल) किए जाने हेतु अनुरोध कर सकेगा।

तीन) राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) आवेदक से अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, उपरोक्त विनियम 8.4 (एक) के अधीन अन्य संबंधित अभिकरणों (एजेन्सियों) से विचार-विमर्श द्वारा जिनमें अन्य पारेषण अनुज्ञापिधारी तथा वितरण अनुज्ञापिधारी सम्मिलित कर अविलम्ब अध्ययन प्रारंभ कर देगी तथा आवेदन प्राप्ति से 45 दिवस के भीतर आवेदक को दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच तथा मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु किए गए अध्ययनों के परिणामों से अवगत कराएगी। राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) संग्रह किए गए आंकड़े तथा प्रणाली मानचित्र पर प्रदर्शित प्राप्त परिणाम जिन्हें सारणीबद्ध भी किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में तथा हार्ड प्रतियों में सुरक्षित रखेगी। आवेदक अध्ययन द्वारा प्राप्त किए गए परिणाम के आधार पर उचित कार्रवाई हेतु राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) को अनुरोध कर सकेगा:

परन्तु यह कि विनिर्दिष्ट समय सीमा का पालन करने में असफल रहने की दशा में समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) समस्त सुसंगत तथ्यों तथा बिलंब होने के कारणों सहित आयोग को तुरंत सूचित करना चाहिए:

परंतु यह और कि समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) द्वारा स्पष्ट की गई परिस्थितियों के विश्लेषण करने पश्चात् आयोग, भावी निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता के आवेदन पर उसे अपने निर्णय से अवगत कराएगा।

(चार) आवेदक, यथास्थिति, राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पन्न प्रणाली सुदृढीकरण अध्ययनों हेतु सम्पन्न किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा :

परन्तु यह कि आवेदन धारा भुगतान किए गए दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु एक लाख रूपए के शुल्क तथा मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु पचास हजार रूपए के शुल्क को आवेदक द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने वाले वास्तविक व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(पांच) ऐसे प्रकरणों में जहां आवेदक की अवस्थिति में सारवान परिवर्तन (मैटिरियल चेन्ज) या फिर राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली के उपयोग द्वारा विनियम (इंटरचेन्ज) की जाने वाली शक्ति की मात्रा में दस (10) प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन सन्निहित हो, इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार एक नवीन आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिस पर इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(छह) किसी भी दीर्घ-अवधि या मध्यम-अवधि क्रेता को आवंटित पारेषण क्षमता को आयोग के पूर्व अनुमोदन के बगैर न तो निरस्त किया जा सकेगा तथा न ही इसे किसी अन्य क्रेता को अन्तरित किया जा सकेगा।

8.5 लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु प्रक्रिया.-

(एक) लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच के आवेदन की स्वीकृति पर उसी दशा में कार्रवाई की जाएगी, जब लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच प्रथम से चतुर्थ माह के भीतर प्रारंभ हो रही हो तथा चतुर्थ माह के आगे समाप्त न हो रही हो, इस तथ्य को मान्य कर कि जिस माह में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, प्रथम माह माना जाएगा।

(दो) किसी माह के दौरान निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु प्रस्तुत किए गए लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच की स्वीकृति के बारे में ऐसे आवेदन, जो किसी माह में प्रारंभ होकर उसी माह में समाप्त हों, क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन 'प्रथम-आओ-प्रथम-पाओ' के आधार पर संव्यवहार किया जाएगा।

(तीन) किसी माह के उन्नीसवें दिन के पश्चात् प्राप्त किए गए आवेदन जिनका प्रारंभ तथा समापन आगामी माह में सन्निहित हो, संव्यवहार 'प्रथम-आओ-प्रथम पाओ' के आधार पर किया जाएगा तथा लघु-अवधि पहुँच की स्वीकृति क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन प्रदान की जाएगी।

(चार) उपरोक्त विनियम 8.5 (एक) के अनुसार प्राप्त किए गए लघु-अवधि पहुँच के आवेदनों को छोड़कर जिन पर कार्यवाही 'प्रथम-आओ'-प्रथम-पाओ' के आधार पर की जाना अपेक्षित है, अन्य आवेदन जो माह की उन्नीसवें दिन तक प्राप्त हुए हों, पर अग्रिम आरक्षण हेतु माह के बीसवें दिन पर विचार किया जाएगा तथा इन पर कार्यवाही निम्न रीति के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:-

- (क) आवेदनों का विश्लेषण लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु उपयोग किए जाने वाले गलियारों (कॉरीडोर) पर संकुलन (कन्जेशन) हेतु किया जाएगा;
- (ख) यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र कतिपय किन्ही भी सन्निहित गलियारों पर संकुलन की अपेक्षा न कर रहा हो, तो आवेदकों को चाही गई मात्रा तथा अवधि हेतु लघु-अवधि पहुँच हर दशा में माह की पच्चीसवें दिन तक स्वीकृत कर दी जाएगी;
- (ग) यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र के मतानुसार, समस्त आवेदकों को लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच स्वीकृति किए जाने के कारण लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु उपयोग किए जाने वाले किसी एक अथवा उससे अधिक गलियारे (कॉरीडोर) किसी भी अवधि के दौरान संकुलन से प्रभावित होंगे, तो वह आवेदकों को तदनुसार अपने मत से, कारणों को दर्शाते हुए, माह की तेइसवें दिन को अथवा इससे पूर्व अवगत कराएगा ;
- (घ) उपरोक्त उप-खण्ड (ग) के अनुसार सूचना प्राप्त होने पर एक आवेदक उसकी क्षमता की आवश्यकताओं को संकुलन (कन्जेशन) की अवधि के दौरान कम कर सकेगा अथवा केवल कतिपय ऐसी अवधि हेतु पहुँच के लिए अपना विकल्प दे सकेगा, जब संकुलन अपेक्षित न किया गया हो तथा ऐसी दशा में वह राज्य भार प्रेषण केन्द्र को तदनुसार इस आशय से माह की पच्चीसवें दिन तक अवगत कराएगा ; और
- (ङ) यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र फिर भी लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु उसके एक अथवा उससे अधिक गलियारों पर संकुलन (कन्जेशन) का पूर्वानुमान लगाता है, तो वह इन विनियमों के विनियम 8.6 के अनुसार संकुलन वाले गलियारे हेतु क्षमता के आरक्षण हेतु माह के छब्बीसवें दिन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बोलियां आमन्त्रित करेगा। किसी आवेदक का बोली प्रक्रिया में भाग न लिए जाने का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अब आगे निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु इच्छुक नहीं है तथा उसके आवेदन पर आगे भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

- (पांच) तदोपरांत, माह की किसी अवधि के दौरान कतिपय गलियारे (कॉरीडोर) के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रिक्त हो जाने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस जानकारी को अपनी सार्वजनिक वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा;
- (छह) इन विनियमों के प्रवृत्त होने से 30 दिवस के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आयोग से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् लघु-अवधि के क्रेताओं हेतु पारेषण तथा वितरण क्षमताओं की आरक्षण संबंधी विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेगा, जिसमें बोली लगाने, अग्रिम आरक्षण, 'प्रथम-आओ-प्रथम-पाओ' आधारित आरक्षण, वैकल्पिक मार्गों के उपयोग तथा अन्य अवशेष विषयों पर विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण भी सम्मिलित होगा। प्रक्रिया में आगे किए जाने वाले पुनरीक्षण आयोग की पूर्व अनुमति के पश्चात् ही कार्यान्वित किए जा सकेंगे;
- (सात) एक बार निर्बाध (खुली) पहुँच स्वीकृत हो जाने के पश्चात् दीर्घ-अवधि क्रेता, मध्यम-अवधि क्रेता या फिर लघु-अवधि क्रेता को अनुवर्ती कतिपय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। किसी लघु-अवधि क्रेता द्वारा आरक्षित पारेषण तथा वितरण क्षमताएं किसी अन्य क्रेता को अन्तरित नहीं की जाएंगी।

8.6 लघु-अवधि की खुली पहुँच हेतु बोली प्रक्रिया.-

- (एक) विनियम 8.5 (चार) के अनुसार कतिपय क्रेताओं द्वारा आरक्षित किए जाने की दशा में चाही गई क्षमता, यदि उपलब्ध क्षमता से अधिक हो, तो ऐसे समय पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे क्रेताओं से बोलियां आमन्त्रित करेगा;
- (दो) बोली लगाए जाने हेतु आधार मूल्य (फ्लोर प्राईस) वह दर होगी जैसा कि वह इन विनियमों के विनियम 13 के अनुसार दर अवधारित की जाएगी;
- (तीन) बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति उक्त मूल्यवर्ग (डिनाॅमिनेशन) पर अपनी बोली लगाएंगे, जिस पर आधार मूल्य (फ्लोर प्राईस) का निर्धारण किया गया हो;
- (चार) किसी भी बोली लगाने वाले को आधार मूल्य से पांच बार से अधिक दर पर अपनी बोली (दर) प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी;
- (पांच) पारेषण तथा वितरण क्षमताओं का आरक्षण उद्धरित मूल्य के घटते क्रम में किया जाएगा;

- (छह) किन्हीं दो या दो से अधिक बोलीकर्ताओं (बिडर्स) द्वारा समान उद्धरित मूल्य की दशा में पारेषण और/या वितरण क्षमता का आरक्षण इस बारे में चाही गई पारेषण और/या वितरण क्षमता के आधार के अनुसार आनुपातिक दर (प्रोरेटा) पर किया जाएगा;
- (सात) लघु-अवधि क्रेता जो उसके द्वारा चाही गई क्षमता से कम क्षमता हेतु आरक्षण प्राप्त करता है, को उसके द्वारा बोली में प्रस्तुत किए गए प्रभारों पर भुगतान करना होगा, जो किसी भी प्रकार से आधार मूल्य (पलोर प्राईस) से कम नहीं होंगे;
- (आठ) लघु-अवधि क्रेता जिसके पक्ष में पूर्ण क्षमताओं का आवंटन किया गया हो, को भुगतान अन्तिम आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रभारों के अनुसार करना होगा जिसके द्वारा पूर्ण चाही क्षमता के अनुसार आरक्षण प्राप्त किया गया है।
- 8.7 इन विनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) आवेदन शुल्क, आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेखों की सूची और आवेदन के निराकरण हेतु निर्धारित की गई समय सीमा इन विनियमों के परिशिष्ट-एक अनुसार संलग्न हैं।

8.8 अनुश्रवण, विवाद निराकरण तथा निर्णय की समीक्षा.—

- (एक) आयोग एक ऐसी समिति का गठन करेगा जिसे 'निर्बाध पहुँच अनुश्रवण, विवाद निराकरण तथा निर्णय समीक्षा समिति' (जो इससे इसके पश्चात् "समिति" के नाम से निर्दिष्ट है, के नाम से जाना जाएगा;
- (दो) समिति का गठन आयोग के अनुमोदनानुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक-एक प्रतिनिधि द्वारा तथा आयोग द्वारा उनके स्टाफ के एक सदस्य के नामांकन द्वारा किया जाएगा। आयोग का प्रतिनिधि समिति का समन्वयक होगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू), वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा आयोग उनकी ओर से एक-एक वैकल्पिक सदस्य को नामांकित कर सकेंगे जिसके विचार वही अर्थ रखेंगे जैसा कि वे मूल पदांकित सदस्य के विचार हों जिनका कि वह प्रतिनिधित्व करता हो :

परन्तु यह कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू), तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, जब तक आयोग द्वारा लिखित में अनुमोदित न कर दिया गया हो, अधीक्षण यंत्री अथवा उसके समकक्ष पद के अधिकारी होंगे;

- (तीन) समिति समन्वयन अभिकरणों (एजेन्सीज) के कार्यों की समीक्षा का अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी। समिति स्थिति की समीक्षा तीन माह

में कम से कम एक बार निश्चित रूप से करेगी। राज्य प्रेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए निर्बाध पहुँच हेतु स्वीकृत प्रकरणों के विवरण, समन्वयन अभिकरणों द्वारा लंबित/अस्वीकृत प्रकरण संबंधी जानकारी आदि प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा। समिति इन विनियमों की समीक्षा भी प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार अवश्य करेगी;

- (चार) समन्वयन अभिकरण के निर्णय से असन्तुष्ट क्रेता को समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम समिति से सम्पर्क करना होगा। समिति निर्बाध (खुली) पहुँच संबंधी विवादों का निराकरण करेगी तथा असन्तुष्ट क्रेताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर समन्वयन अभिकरणों द्वारा किए गए निर्णयों का पुनर्विलोकन करेगी;
- (पांच) समन्वयन अभिकरण के निर्णय से असन्तुष्ट कोई भी व्यक्ति किसी नवीन तथा महत्वपूर्ण सामग्री अथवा साक्ष्य अथवा कोई तथ्य जो उसके द्वारा किए गए यथोचित परिश्रम के बावजूद उसकी जानकारी में न आ पाया हो अथवा निर्णय पारित होने के समय प्रस्तुत न किया जा सका हो अथवा अभिलेखों में किसी त्रुटि अथवा उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित चूक अथवा अन्य किन्हीं पर्याप्त कारणों से अभिकरण के समक्ष में लाया न जा सका हो, तो समिति के निर्णय के पैंतालीस (45) दिनों के भीतर, ऐसे निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन कर सकेगा;
- (छह) पुनर्विलोकन आवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस तथ्य के आधार पर कि पुनर्विलोकन हेतु पर्याप्त कारण हैं या नहीं, समिति ऐसे पुनर्विलोकन के अनुरोध को स्वीकार अथवा निरस्त करेगी;
- (सात) जब समिति को ऐसा प्रतीत हो कि पुनर्विलोकन हेतु कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो समिति ऐसे पुनर्विलोकन आवेदन को निरस्त कर सकेगी;
- (आठ) जब समिति का यह अभिमत हो कि पुनर्विलोकन आवेदन पर विचार किया जा सकता है तो वह प्रकरण का परीक्षण करेगी तथा इसका निराकरण करने का प्रयास करेगी;
- (नौ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उपरोक्तानुसार इन विनियमों में परिभाषित लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु दिये गए निर्णय पर विवाद की स्थिति में प्रकरण को समिति के समक्ष भी निर्दिष्ट किया जाएगा;
- (दस) यदि क्रेता समिति के निर्णय से असन्तुष्ट हो तो वह आयोग के समक्ष समुचित आदेश की प्राप्ति हेतु याचिका दायर कर सकेगा। ऐसे प्रकरण

में क्रेता को अपनी याचिका मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 के अनुसार दाखिल करनी होगी।

9. आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करने हेतु समय सारणी.-

9.1 समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) द्वारा निर्बाध (खुली) पहुँच की स्वीकृति हेतु आवेदनों पर कार्यवाही हेतु निम्न समय-सारणी का अनुसरण करना होगा :

सरल क्रमांक	सेवा/गतिविधि का प्रकार	प्रक्रियाबद्ध करने हेतु अधिकतम समय (अवकाश अवधि को सम्मिलित करते हुए)
1	लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच -	
	एक दिवस तक	24 घंटे
	एक सप्ताह तक	48 घंटे
	एक सप्ताह से अधिक	72 घंटे
2	दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच तथा मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच-	
	प्रणाली सुदृढीकरण के बगैर पहुँच की संभावना के बारे में सूचना प्रदान करना	30 दिवस
	प्रणाली सुदृढीकरण हेतु मय लागत के प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण किए जाने संबंधी कार्यक्रम (शेड्यूल) अध्ययनों के परिणामों के बारे में सूचना प्रदान करना,	45 दिवस

परन्तु यह कि समन्वयन अभिकरण द्वारा लिखित में कारणों को सूचित किए बगैर किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उपरोक्त निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्बाध (खुली) पहुँच को अनुमोदित या अस्वीकार किए जाने संबंधी किसी संसूचना के अभाव में निर्बाध (खुली) पहुँच को प्रणाली उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।

9.2 दिवस पूर्व निष्पादित किए जाने वाले संव्यवहार.-

(एक) विनियम 13 में विनिर्दिष्ट पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों, परिचालन प्रभारों तथा अन्य प्रभारों के अग्रिम भुगतान हेतु आग्रह नहीं किया जाएगा। ये भुगतान आवेदन प्रस्तुत करने से 3 कार्यकारी दिवस के भीतर किए जा सकेंगे।

(दो) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को निर्बाध (खुली) पहुँच तथा समय-सारणी हेतु समन्वित अनुरोध अंपरान्ह तीन बजे तक प्रेषित कर दिया जाएगा। यदि अनुरोध को संकुलन (कन्जेशन) निमित्त किए बिना समायोजित किया

जाना संभव हो तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र जारी की जाने वाली समय-सारणी में निर्बाध (खुली) पहुँच संबंधी अनुरोध को सम्मिलित किए जाने संबंधी कदम उठायेगा।

(तीन) राज्य भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा सांय 5 बजे जारी की गई प्रथम समय-सारणी के पश्चात् प्राप्त होने वाली अतिशेष ऊर्जा के उपयोग हेतु निर्बाध (खुली) पहुँच तथा समय-सारणी हेतु समन्वित अनुरोध रात्रि 10 बजे तक अथवा अधिमान्यतः इससे पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये। यदि अनुरोध को संकुलन (कन्जेशन) निमित्त किए बिना समायोजित किया जाना संभव हो तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपने जारी किए जाने वाले पुनरीक्षित प्रेषण समय-तालिका में इसे सम्मिलित किए जाने बाबत प्रयास करेगा।

9.3 उसी दिवस के संव्यवहार.—

(एक) विनियम 13 में विनिर्दिष्ट पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों, परिचालन प्रभारों आदि के अग्रिम भुगतान हेतु आग्रह नहीं किया जाएगा। ये भुगतान आवेदन प्रस्तुत करने के 3 कार्यकारी दिवस के भीतर किए जा सकेंगे।

(दो) कोई आपातकालीन परिस्थिति में निर्बाध(खुली) पहुँच क्रेता लघु-अवधि आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसी दिवस ऊर्जा स्रोत तलाश कर सकेगा तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु अनुरोध प्रेषित कर सकते हैं। राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे आपातकालीन अनुरोधों को यथाशीघ्र यथासंभव समायोजित करने का प्रयास करेगा।

10. निर्बाध (खुली) पहुँच अनुबंध.—

10.1 एक निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता यथाप्रयोज्य संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों, विद्युत् उत्पादन कंपनियों, व्यापारियों तथा अन्यो के साथ अनुबंध निष्पादित करेगा तथा इन विनियमों के अधीन अधिकथित की गई अन्य शर्तों की पूर्ति करेगा।

10.2 थोक ऊर्जा पारेषण अनुबंध.— पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाला कोई दीर्घ-अवधि तथा मध्य-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ थोक (बल्क) ऊर्जा पारेषण अनुबंध निष्पादित करेगा।

10.3 थोक ऊर्जा चक्रण अनुबंध.— वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाला कोई दीर्घ-अवधि तथा मध्य-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ थोक (बल्क) ऊर्जा चक्रण अनुबंध निष्पादित करेगा:

परन्तु यह कि यदि दीर्घ-अवधि तथा मध्यम-अवधि खुली पहुँच क्रेता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी/मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड की वितरण प्रणाली के उपयोग के माध्यम से विद्युत् क्रय तथा चक्रण अनुबन्ध यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत् का सह उत्पादन तथा उत्पादन} विनियम के अनुसार निष्पादित किया गया है तो ऐसे प्रकरण में पृथक थोक ऊर्जा चक्रण अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया जाएगा।

- 10.4 अनुबन्धों की स्वीकृति हेतु इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के उपयोग की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
 - 10.5 अनुबंध हस्ताक्षरित होने के तीन दिवस के भीतर राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू)/राज्य भार प्रेषण केन्द्र निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता को कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि से अवगत कराएंगे।
 - 10.6 अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता के साथ निष्पादित किए गए किसी नवीन अनुबन्ध के संबंध में अनुबंध संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण करने के सात दिवस के भीतर अवगत कराते हुए इसे अपनी वेबसाईट पर भी प्रदर्शित करेगा।
1. राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली में निर्बाध (खुली) पहुँच क्षमता का कम उपयोग किया जाना या उपयोग न किया जाना.—

11.1 दीर्घ-अवधि पहुँच : कोई दीर्घ-अवधि क्रेता अपनी दीर्घ-अवधि पहुँच की पूर्ण अवधि के अवसान से पूर्व अप्रयुक्त क्षमता (स्ट्रैण्डेड कैपेसिटी) हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान द्वारा पूर्णतया या अंशकालिक दीर्घ-अवधि पहुँच अधिकारों को निम्नानुसार त्याग सकेगा :

(एक) दीर्घ-अवधि क्रेता जिसके द्वारा न्यूनतम बारह वर्षों के लिए पहुँच अधिकारों (एक्सेस राईट्स) का लाभ प्राप्त किया गया है :-

(क) जहां एक वर्ष की पूर्व सूचना दी गई हो : यदि ऐसा कोई क्रेता राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) को पहुँच अधिकारों को त्यागने की इच्छा की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व आवेदन प्रस्तुत करता हो तो उससे किन्हीं भी प्रभारों की वसूली नहीं की जाएगी।

(ख) जहां एक वर्ष से कम अवधि हेतु पूर्व सूचना दी गई हो: यदि ऐसा कोई क्रेता राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) को पहुँच अधिकारों को त्यागने की इच्छा की तिथि से एक वर्ष से कम अवधि पूर्व अपना आवेदन प्रस्तुत करता हो तो ऐसे क्रेता को अप्रयुक्त पारेषण क्षमता (स्ट्रैण्डेड ट्रांसमिशन कैपेसिटी) की

अवधि के रूप में सूचना अवधि हेतु, उसके एक वर्ष से कम होने के कारण, पारेषण प्रभारों की 66 प्रतिशत राशि के बराबर का भुगतान करना होगा।

(दो) दीर्घ-अवधि क्रेता जिसने न्यूनतम 12 (बारह) वर्षों से पहुँच अधिकारों (एक्सेस राइट्स) का लाभ प्राप्त न किया हो :

(क) ऐसे क्रेता को अनुमानित पारेषण प्रभारों शुद्ध वर्तमान मूल्य की 66 प्रतिशत राशि के बराबर अप्रयुक्त पारेषण क्षमता (स्ट्रैन्डेड ट्रांसमिशन कैपेसिटी) हेतु उक्त अवधि के लिए जो पहुँच अधिकारों हेतु 12 (बारह) वर्षों से कम पड़ती हो, का भुगतान करना होगा :

परन्तु यह कि ऐसे क्रेता को समन्वयन अभिकरण को एक आवेदन न्यूनतम 1 (एक) वर्ष पूर्व उक्त तिथि से पूर्व जिसके अनुसार ऐसा क्रेता अपने पहुँच अधिकारों को त्याग देने का इच्छुक हो, एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा;

(ख) छूट दर (डिस्काउन्ट रेट) जैसा कि यह शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना हेतु लागू होगी वह छूट दर होगी जिसका उपयोग भारत सरकार, विद्युत् मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु विद्युत् की अधिप्राप्ति हेतु केंद्रीय आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली प्रक्रिया द्वारा विद्युत्-दर के अवधारण हेतु बोली के मूल्यांकन हेतु किया जाएगा;

(ग) अप्रयुक्त पारेषण क्षमता (स्ट्रैन्डेड ट्रांसमिशन कैपेसिटी) हेतु दीर्घ-अवधि क्रेता द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का उपयोग अन्य दीर्घ-अवधि क्रेताओं तथा मध्यम-अवधि क्रेताओं द्वारा पारेषण प्रभारों को कम करने हेतु उक्त वर्ष में किया जाएगा जब ऐसी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान देय हो तथा जिसका उपयोग ऐसे दीर्घ-अवधि क्रेताओं तथा मध्यम-अवधि क्रेताओं द्वारा उक्त वर्ष हेतु पारेषण प्रभारों के अनुपात में किया जाएगा।

11.2 मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता.—

कोई मध्यम-अवधि खुली पहुँच क्रेता अपने अधिकारों का त्याग, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, समन्वयन अभिकरण को न्यूनतम 30 दिवस की पूर्व सूचना देकर कर सकेगा :

परन्तु यह कि मध्यम-अवधि खुली पहुँच क्रेता जो अपने अधिकारों का त्याग करता हो, के द्वारा प्रयोज्य पारेषण प्रभारों का भुगतान अधिकारों को त्यागने की अवधि या 30 दिवस, इनमें से जो भी कम हो, के अनुसार करना होगा।

11.3 लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता.-

- (क) यदि कोई लघु-अवधि क्रेता आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता का पूर्ण अथवा उसके पर्याप्त भाग का उपयोग करने में विफल रहता हो तो वह राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आरक्षित पारेषण क्षमता को उपयोग में न लाये जाने के कारण दर्शाते हुए उसे सूचित करेगा तथा आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता को समर्पित कर सकेगा।
- (ख) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपनी स्वेच्छा से कतिपय लघु-अवधि क्रेता को आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता को कम अथवा उसे निरस्त कर सकेगा, जब ऐसा लघु-अवधि क्रेता आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता का बारंबार न्यून उपयोग कर रहा हो :

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता को लघु-अवधि क्रेता जिसकी आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता को कम या निरस्त किया जाना चाहा गया हो, बिना पूर्व सूचना जारी किए कम अथवा निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

- (ग) लघु-अवधि क्रेता जिसके द्वारा विनियम 11.3(क) के अधीन आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता समर्पित कर दी गई हो या फिर जिसकी आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता विनियम 11.3 (ख) के अधीन कम अथवा निरस्त की जा चुकी हो, उसके द्वारा मूल आरक्षित पारेषण और/या वितरण क्षमता पर आधारित सात दिवस अथवा आरक्षित अवधि जिसे समर्पित अथवा कम अथवा निरस्त कर दिया गया हो, यथास्थिति इनमें से जो भी अवधि कम हो हेतु पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों तथा परिचालन प्रभार को वहन करना होगा।

टीप : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "परिचालन प्रभार" का वही अर्थ होगा जैसा कि विनियम 13 के अन्तर्गत इस हेतु नियत किया गया है।

- (घ) पारेषण और/या वितरण क्षमता जो लघु-अवधि क्रेता द्वारा विनियम 11.3(क) के अधीन समर्पित कर दी गई हो या फिर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विनियम 11.3(ख) के अधीन आरक्षित पारेषण और/या वितरण

क्षमता से कम या निरस्त कर दी गई हो, इसे विनियमों के अनुसार किसी अन्य लघु-अवधि क्रेता हेतु आरक्षित किया जा सकेगा।

(ड) क्रेता किसी प्रकार की शिकायत होने पर उसके निराकरण हेतु समिति से सम्पर्क कर सकेगा।

12. कटौती किए जाने संबंधी आदेश (कर्टलमेंट ऑर्डर).—

12.1 जब किसी प्रकार के प्रतिबन्धों अथवा अन्य कारणों से भी किन्हीं खुली पहुँच क्रेताओं को आवंटित क्षमता में कटौती किया जाना आवश्यक हो जाए तो ऐसे में निम्न क्रम का अनुसरण किया जाएगा :

(एक) लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को छोड़कर) ;

(दो) मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को छोड़कर) ;

(तीन) दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को छोड़कर) ; और

(चार) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को आवंटित लघु-अवधि, मध्यम-अवधि, दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्षमता।

12.2 किसी श्रेणी के अन्तर्गत, ऊर्जा की कटौती आनुपातिक (प्रोरेटा) आधार पर की जाएगी।

13. निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु प्रभार.—

13.1 निर्बाध (खुली) पहुँच उपलब्ध कराये जाने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केवल ऐसे शुल्कों अथवा निर्बाध (खुली) पहुँच प्रभारों का उद्ग्रहण आयोग द्वारा समय-समय पर अवधारित किए गए अनुसार किया जाएगा। प्रभारों के अवधारण के सिद्धांत निम्नानुसार विस्तारित किए गए हैं :-

(एक) पारेषण प्रभार.— पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु पारेषण प्रभारों का विनियमन निम्नानुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) किसी दीर्घ-अवधि क्रेता तथा मध्यम-अवधि क्रेता द्वारा राज्य पारेषण प्रणाली के उपयोग द्वारा देय वार्षिक पारेषण सेवा प्रभारों (टीएससी) का अवधारण आयोग द्वारा समय-समय पर अधिनियम की धारा 61 द्वारा अधिसूचित विद्युत्-दर (टैरिफ) की निबन्धन

एव शर्तों के अनुसार किया जाएगा। इन प्रभारों को दीर्घ-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेताओं तथा मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेताओं के मध्य सहभाजित किया जाएगा।

- (ख) किसी लघु-अवधि क्रेता द्वारा राज्यांतरित पारेषण प्रणाली का उपयोग किए जाने पर देय पारेषण प्रभारों की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

STOA charges (Rs/Kwh) अर्थात् लघु-अवधि खुली पहुँच प्रभार (रु प्रति किलोवाट ऑवर) = {वार्षिक पारेषण सेवा प्रभार (Annual Transmission Service Charges) / राज्यान्तरिक पारेषण तन्त्र के माध्यम से संव्यवहारित ऊर्जा (Energy handed through Intra State Transmission Net Work)}:

परन्तु यह कि जहां निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु एक समर्पित पारेषण प्रणाली का निर्माण किसी निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता के अनन्य उपयोग के लिए किया गया हो वहां इस प्रकार की समर्पित प्रणाली हेतु पारेषण प्रभारों की गणना उनकी तत्संबंधी प्रणालियों हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी तथा इसका अनुमोदन आयोग से कराया जाएगा तथा इसका व्यय पूर्णतया ऐसे समय तक निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा जब तक अधिशेष (सरप्लस) क्षमता को अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा प्रयोजनों हेतु आवंटित तथा उपयोग प्रारंभ न कर दिया जाए :

परन्तु यह और कि पारेषण प्रभार ऐसे समर्पित तन्तुपथों (लाइनों) {जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 2(16) के अधीन परिभाषित किया गया है} के प्रकरणों में लागू नहीं होंगे जिनका निर्माण विद्युत् उत्पादक द्वारा किया गया हो तथा जिनका उपयोग निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता को विद्युत् प्रदाय हेतु किया जा रहा हो।

- (दो) **चक्रण प्रभार (व्हीलिंग चार्जस)**— किसी अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का उपयोग करने पर चक्रण प्रभारों का नियमन निम्नानुसार किया जाएगा, अर्थात्—

- (क) वितरण प्रणाली का उपयोग करने पर किसी दीर्घ-अवधि क्रेता तथा मध्यम-अवधि क्रेता द्वारा देय चक्रण प्रभारों का अवधारण आयोग द्वारा समय-समय पर अधिनियम की धारा 61 के अधीन अधिसूचित विद्युत्-दर (टैरिफ) की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा। इन प्रभारों को दीर्घ-अवधि तथा मध्यम-अवधि के

निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेताओं के मध्य परस्पर विभाजित किया जाएगा।

- (ख) किसी लघु-अवधि क्रेता द्वारा वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु देय चक्रण प्रभारों की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी तथा यह किसी दीर्घ-अवधि तथा मध्य-अवधि के निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता द्वारा देय चक्रण प्रभारों के बराबर होगी :

परन्तु यह कि जहां निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु एक समर्पित वितरण प्रणाली का निर्माण केवल किसी निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता के लिए किया गया हो वहां इस प्रकार की समर्पित प्रणाली हेतु चक्रण प्रभारों की गणना उनकी तत्संबंधी प्रणालियों हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी तथा इसका अनुमोदन आयोग से कराया जाएगा तथा इसका व्यय पूर्णतया ऐसे समय तक निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा जब तक अधिशेष (सरप्लस) क्षमता को अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा प्रयोजनों हेतु आवंटित तथा उपयोग प्रारंभ न कर दिया जाए :

परन्तु यह और भी कि चक्रण प्रभार ऐसे समर्पित तन्तुपथों (लाइनों) (जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 2(16) के अधीन परिभाषित किया गया है) के प्रकरणों में लागू न होंगे जिनका निर्माण विद्युत् उत्पादक द्वारा किया गया हो तथा जिनका उपयोग निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता को विद्युत् प्रदाय हेतु किया जा रहा हो।

- (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेताओं से अर्जित राजस्व हेतु एक पृथक लेखा शीर्ष संघारित करेगा तथा इसका उपयोग वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु करेगा न कि किसी प्रकार के राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन करते समय इस आय को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण तथा इसका सत्यापन कराते समय निधि के उपयोग के ब्यौरों के साथ प्रकट करना होगा।
- (घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लघु-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेताओं से अर्जित राजस्व अधोसंरचना के विकास हेतु पूंजीगत व्यय करने हेतु रखा जाएगा।

(तीन) परिचालन प्रभार (ऑपरेटिंग चार्ज).—

निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) तथा प्रणाली परिचालन प्रभारों का भुगतान करने के लिए समय-समय पर संशोधित, मप्र विद्युत् नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण

केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभार का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2006 के अनुसार दायी होंगे।

नोट- परिचालन प्रभार में अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) तथा प्रणाली परिचालन हेतु शुल्क, वास्तविक आधार पर अनुसूची (शेड्यूल) का पुनरीक्षण किए जाने हेतु शुल्क और संग्रहण एवं वितरण प्रभार सम्मिलित होंगे।

(चार) असंतुलन प्रभार (इम्बेलेस चार्ज).-

आहरण (ड्रावल) बिन्दुओं पर अनुसूचित (शेड्यूल्ड) तथा वास्तविक आहरण बिन्दुओं पर वास्तविक आहरण एवं अनुसूचित (शेड्यूल्ड) तथा अन्तःक्षेप (इंजेक्शन) बिन्दुओं पर वास्तविक अन्तःक्षेप के बीच होने वाली असमानता (मिसमैच) को राज्यान्तरिक ऊर्जा संबंधी संव्यवहार (लेन-देन) को लागू मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(पांच) प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार (रिएक्टिव एनर्जी चार्ज).-

(क) निर्बाध(खुली) पहुँच के कारण क्रेताओं द्वारा प्रतिक्रियाशील (रिएक्टिव) ऊर्जा प्रभारों के भुगतान तथा प्राप्तियों की गणना आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित राज्यान्तरिक पारेषण को अंतर्वलित करने वाले संव्यवहारों (लेन-देन) हेतु लागू योजना के अनुसार की जाएगी।

(ख) अन्तःस्थापित क्रेताओं द्वारा प्रतिक्रियाशील (रिएक्टिव) ऊर्जा के आहरण तथा अन्तःक्षेपों को मध्यप्रदेश राज्य के भीतर लागू योजना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(छह) प्रतिसहायतानुदान अधिभार (क्रास सब्सिडी सरचार्ज).- आयोग उपभोक्ताओं की वैयक्तिक श्रेणियों हेतु प्रतिसहायतानुदान अधिभार को तत्संबंधी वर्षों के लिए खुदरा विद्युत्-प्रदाय टैरिफ आदेशों में पृथक् से विनिर्दिष्ट करेगा।

(सात) अतिरिक्त अधिभार (एडिशनल सरचार्ज).- आयोग द्वारा अतिरिक्त अधिभार का अवधारण वार्षिक आधार पर उसके द्वारा जारी किए जाने वाले खुदरा विद्युत्-प्रदाय टैरिफ आदेशों के माध्यम से किया जाएगा।

(आठ) अन्तर्संयोजन व्यय (इंटरकनेक्शन एक्सपेंसेज).- निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता जो उनके विद्युत् उत्पादन संयंत्रों तथा ग्रिड संबंधी भारों हेतु अन्तर्संयोजन चाहते हों, उन्हें केवल एकल समय अर्थात् अन्तर्संयोजन के समय ही ऐसे व्यय जो वास्तविक रूप से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उठाये गए हों, वहन करना होगा।

(नौ) कोई अन्य प्रभार जैसे कि आयोग द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जाएं, निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता द्वारा देय होंगे।

- 13.2 समस्त निर्बाध (खुली) पहुँच के उपयोगकर्ताओं/क्रेताओं को किसी अन्तर्संयोजन पर उनकी वास्तविक मांग अथवा वास्तविक निर्गमित क्षमता, यथास्थिति, उक्त अन्तर्संयोजन पर अनुबंधित अधिकतम मांग अथवा वास्तविक निर्गमित मांग से अधिक न हो, सुनिश्चित करने हेतु युक्तियुक्त प्रयास करना होंगे :

परन्तु यह कि ऊर्जा के संतुलन तथा व्यवस्थापन के क्रियान्वयन हेतु तथा पहुँच अनुबन्धों से संबंधित समस्त प्रवेश तथा निर्गमन बिन्दुओं पर मांग हेतु अनुज्ञप्तिधारी जैसा कि लागू किया जाए तथा समय-समय पर यथासंशोधित संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता/मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (पवन तथा सौर विद्युत् केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन-व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम 2018/मध्यप्रदेश विद्युत् ग्रिड संहिता, 2009 का कड़ाई से पालन करेगा।

- 13.3 यदि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य किसी राज्य के भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का उपयोग करता हो तो केन्द्रीय पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (सीटीयू) तथा अन्य राज्य के राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) के पारेषण प्रभारों तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य राज्य की भार प्रेषण केन्द्र के सेवा प्रभारों के भुगतान के अतिरिक्त उसे आयोग द्वारा नियत प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

14. ऊर्जा हानियां.-

- 14.1 खुली पहुँच क्रेता अधिनियम की धारा 61 के अधीन आयोग द्वारा संरचित विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली की ऊर्जा हानियों को वहन करेंगे। पारेषण तथा वितरण प्रणालियों की ऊर्जा हानियों की क्षतिपूर्ति अंतःक्षेपण बिन्दु(ओं) (इन्जेक्शन पाइंट्स) पर अतिरिक्त अन्तःक्षेपण द्वारा की जाएगी।

- 14.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वेबसाइट पर पिछले 12 मास के लिए औसत ऊर्जा हानियों संबंधी जानकारी की प्रविष्टि की जाएगी।

15. ऊर्जा आकलन (क्रेडिट) के समायोजन हेतु प्राथमिकता.-

किसी निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता द्वारा विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा आहरण के समायोजन हेतु प्राथमिकता, निम्न उपचायक प्राथमिकता (रेडयूसिंग प्रायोरिटी) के क्रमानुसार होगी तथा प्रत्येक समय-खंड (टाईम ब्लॉक) हेतु इसका क्रियान्वयन प्रयोज्य हानियों के समायोजन पर किया जाएगा :

- (क) नवोकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र;
- (ख) आबद्ध (केप्टिव) उत्पादन संयंत्र ;
- (ग) अधिकोषित ऊर्जा (बैंकड एनर्जी) ;
- (घ) दीर्घ-अवधि द्विपक्षीय क्रय ;
- (ङ) मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच ;
- (च) लघु-अवधि अन्तर्राज्यीय निर्बाध (खुली) पहुँच, पावर एक्सचेंज संव्यवहारों (लेन-देन) को सम्मिलित करते हुए ;
- (छ) लघु-अवधि राज्यान्तरिक निर्बाध (खुली) पहुँच ; तथा
- (ज) वितरण अनुज्ञप्तिधारी:

परंतु यह कि समान श्रेणी से एक से अधिक स्रोतों से ऊर्जा के आकलन (एनर्जी क्रेडिट) का समायोजन ऐसे स्रोत से संविदाकृत विद्युत् उत्पादन क्षमता के आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

16. देयक (बिल) तैयार करना तथा उनका भुगतान करना.—

16.1 विनियम 13 में उल्लिखित प्रभारों संबंधी देयक (बिल), यथास्थिति, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा तैयार किए जाएंगे। निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता इन देयकों (बिलों) के भुगतान सीधे ऐसे बिल प्रस्तुत करने वाली इकाई को करेंगे।

16.2 दीर्घ-अवधि क्रेता तथा मध्यम-अवधि क्रेता

पारेषण तथा चक्रण प्रभारों हेतु प्रतिभूति साख पत्र (एलसी) के रूप में जैसा कि लागू किया जाए पूर्व वर्ष की बिल राशि (ऊर्जा की लागत के अपवर्जित करते हुए) का 1/12 वें भाग के साथ अनुज्ञप्तिधारी के साथ सहमति अनुसूची के आधार पर बनाए रखी जाएगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों हेतु प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षानिधि) जो वार्षिक प्रभारों का 1/12 वां भाग होगा के साथ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ बनाए रखा जाएगा।

16.3 लघु-अवधि क्रेता

पारेषण प्रभार, चक्रण प्रभार, परिचालन प्रभार तथा अन्य प्रभारों का भुगतान मासिक आधार पर संबंधित जनोपयोगी सेवा इकाई (यूटिलिटी) को किया जाएगा। एक माह अथवा पहुँच की कालावधि हेतु अग्रिम भुगतान, इनमें से जो भी कालावधि कम हो, पहुँच के स्वीकृत होने के तीन कार्यकारी दिवस के भीतर करना होगा। अनुवर्ती भुगतान अगले माह के प्रारंभ से कम से कम एक दिवस पूर्व करना होंगे। यदि स्वीकृत की गई पहुँच की कालावधि एक माह से अधिक

हो तो लघु-अवधि क्रेता एक अप्रतिसंहरणीय (irrevocable) समर्थन साख पत्र निर्बाध (खुली) पहुँच के आरंभ होने से सात दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा।

- 16.4 भुगतान संबंधित जनोपयोगी सेवा इकाई (यूटिलिटी) जहां वह अवस्थित है, पर देय चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण के माध्यम से किया जाएगा।
- 16.5 इन विनियमों के अधीन देय प्रभारों के लिए किसी बिल के भुगतान की दशा में किसी निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता द्वारा विलंब किया जाता है तो अधिनियम या किसी अन्य विनियम के अधीन किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भुगतानकर्ता पर 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से विलम्ब भुगतान अधिभार अधिरोपित किया जाएगा।
- 16.6 इन विनियमों के अधीन किसी निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता द्वारा देय किसी प्रभार या धन राशि के भुगतान न किए जाने को इन विनियमों का अपालन समझा जाएगा तथा इस कृत्य पर अधिनियम की धारा 56 के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 142 के अधीन भी कार्रवाई की जा सकेगी।
- 16.7 राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) या फिर अन्य कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी विधि के अधीन ऐसे प्रभारों की वसूली के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्रेता को पन्द्रह (15) दिवस की अग्रिम सूचना (नोटिस) देने के पश्चात निर्बाध (खुली) पहुँच का विच्छेदन कर सकेगा:

परन्तु यह कि यदि निर्बाध (खुली) पहुँच केवल पारेषण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं की दशा में संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इस बारे में अनुरोध प्राप्त होने पर विद्युत् पारेषण व्यवस्था को विच्छेदित करेगा।

- 16.8 राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कारण प्रभारों के भुगतान में व्यक्ति की दशा में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यतिक्रमी निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता को विद्युत् प्रदाय के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आपूर्ति किए जाने से इनकार कर सकेगा तथा संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे क्रेता को ग्रिड से विच्छेदित करने हेतु निर्देश दे सकेगा।
- 16.9 असंतुलन प्रभारों (इम्बेलेन्स चार्ज) तथा प्रतिक्रियाशील (रिएक्टिव) ऊर्जा प्रभारों का संग्रहण तथा वितरण, आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली प्रक्रिया एवं क्रियाविधि अनुसार विनियमित किया जाएगा।

17. मापन व्यवस्था (मीटरिंग).-

- 17.1 निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता मापन (मीटरिंग) संहिता में आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट एबीटी अनुरूप विशेष ऊर्जा मापयंत्र (मीटर) जो वोल्टेज, पाईट, प्रदाय

कालावधि तथा टैरिफ श्रेणी के ऐसे उपभोक्ताओं के लिए, मुख्य मापयंत्र (मीटर) के रूप में प्रावधान करने की व्यवस्था करेंगे। परिभाषित शब्द, 'मापयंत्र (मीटर)' में करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज/पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उनके मध्य की वायरिंग व्यवस्था तथा मीटर बॉक्स/पैनल सम्मिलित होंगे। संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के मापयंत्रों (मीटरों), मापन (मीटरिंग) से संबंधित उपकरण तथा मापन (मीटर) स्थापना को प्रमाणित करना होगा। स्थापित किए गए विशेष ऊर्जा मापयंत्र राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार प्रतिक्रियाशील ऊर्जा (रिएक्टिव एनर्जी)¹ के समय खण्डवार सक्रिय ऊर्जा तथा वोल्टेज विभेदित मापन हेतु समय-विभेदित माप लेने के लिए सक्षम होंगे:

परन्तु यह कि विद्यमान उपभोक्ता विशेष ऊर्जा मापयंत्रों की स्थापना इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से छह (6) माह की समय सीमा के भीतर करेंगे।

- 17.2 मुख्य मापयंत्रों (मीटरों) को सदैव अच्छी अवस्था में रखना होगा तथा समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेन्सी) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय इन्हें निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 17.3 संबंधित अनुज्ञप्तिधारी मुख्य मापयंत्रों (मीटरों) की विशिष्टताओं (स्पेसीफिकेशन्स) के अनुरूप प्रति-परीक्षण (चेक) मापयंत्र प्रदान कर सकेगा।
- 17.4 मुख्य (मेन) तथा प्रतिपरीक्षण मापयंत्रों (चेक मीटरों) को नियतकालिक रूप से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य संबंधित पक्ष की उपस्थिति में परीक्षण तथा अंशशोधित (कैलिबरेट) किया जाएगा। मुख्य तथा प्रति परीक्षण (चेक) मापयंत्रों को दोनों पक्षों द्वारा मुद्रांकित (सील) किया जाएगा। दोषपूर्ण मापयंत्रों को तुरंत बदलना होगा।
- 17.5 मुख्य (मेन) तथा प्रतिपरीक्षण मापयंत्रों (चेक मीटरों) का वाचन नियतकालिक रूप से निर्धारित दिवस एवं समय पर यथास्थिति संबंधित अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत् उत्पादक के प्राधिकृत अधिकारी, क्रेता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा, किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर वाचन को राज्य भार प्रेषण केन्द्र, निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता तथा विद्युत् उत्पादन कंपनी या व्यापारी को, यथास्थिति, मापयंत्र वाचन के 24 घंटे के भीतर सूचित करना होगा।
- 17.6 मुख्य मापयंत्र (मेन मीटर) के दोषपूर्ण अथवा बन्द पाये जाने पर प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) द्वारा प्रदर्शित वाचन को मान्य किया जाएगा। यदि मुख्य तथा प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) के वाचन का अन्तर सुसंगत परिशुद्धता श्रेणी मापयंत्र से मुख्य मापयंत्र वाचन की प्रतिशत त्रुटि के दुगुने से भी अधिक पाया जाए तो दोनों मुख्य मापयंत्र तथा प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) की परिशुद्धता हेतु परीक्षण किया जाएगा।
- 17.7 यदि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से मुख्य मापयंत्र (मीटर) की व्यवस्था कराने का इच्छुक हो तो वह अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) की राशि जमा करेगा तथा प्रयोज्य खुदरा विद्युत्-प्रदाय टैरिफ

आदेश के अनुसार भाड़े का भुगतान करेगा। मापयंत्र का संधारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा।

- 17.8 विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो बहु-विद्युत् उत्पादन इकाईयां धारित करते हैं व जिनमें एक या एक से अधिक इकाईयां आबद्ध मार्ग (कैप्टिव रूट) अथवा तृतीय पक्ष मार्ग (थर्ड पार्टी रूट) के अन्तर्गत संविदाकृत की जाती हैं, ऐसी विद्युत् उत्पादन कम्पनी प्रत्येक विद्युत् उत्पादन इकाई हेतु अपनी स्वयं की लागत पर पृथक से विशेष ऊर्जा मापयंत्र (स्पेशल एनर्जी मीटर्स) स्थापित करेगी। तथापि, समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेंसी) और/या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार विद्यमान विद्युत् उत्पादन केन्द्र इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने से छः माह के भीतर प्रत्येक विद्युत् उत्पादन इकाई हेतु विशेष ऊर्जा मापयंत्र पृथक से स्वयं की लागत पर स्थापित करेंगे :

परन्तु स्थापित किए गए विशेष ऊर्जा मापयंत्र किसी भी समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा मध्यप्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निरीक्षण हेतु किसी भी समय उपलब्ध रहेंगे :

परन्तु यह और कि यदि विद्युत् उत्पादक अपने स्वयं के व्यय पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विशेष ऊर्जा मापयंत्रों को स्थापित करने का विकल्प देता है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी इसकी स्थापना करेगा। अन्तर्वर्ती अवधि के दौरान, विशेष ऊर्जा मापयंत्र की स्थापना होने तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ता/विद्युत् उत्पादक को निर्बाध (खुली) पहुँच की सुविधा प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा :

परन्तु यह और भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी और/या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निर्धारित की गई तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार नियंत्रण केन्द्र के साथ एकीकरण हेतु पारेषण अथवा वितरण प्रणाली से यथास्थिति संयोजित ऐसे विद्युत् उत्पादन केन्द्र द्वारा संचार व्यवस्थाओं की लागत को वहन किया जाएगा।

18. अन्तःक्षेप तथा आहरण बिन्दुओं के परिवर्तन में लचीलापन.—

- 18.1 यदि विद्यमान उपयोगकर्ताओं के अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित न होते हों, तो दीर्घ-अवधि तथा मध्यम-अवधि के उपयोगकर्ताओं को अन्तःक्षेप और/या आहरण बिन्दु के परिवर्तन हेतु वर्ष में एक बार अध्ययन किए जाने हेतु लचीलेपन का अवसर ऐसे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निष्पादित प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी अध्ययनों पर प्राप्त परिणामों के अध्यधीन दिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किए गए ऐसे अध्ययनों पर किए गए सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति ऐसे उपयोगकर्ताओं द्वारा की जाएगी।

- 18.2 राज्य भार प्रेषण केन्द्र किसी लघु-अवधि क्रेता को अन्तःक्षेप का/के बिन्दु परिवर्तन किए जाने को संभव पाये जाने पर इस हेतु अनुमति प्रदान करेगा यदि ऐसा किसी आकस्मिकता के कारण होने वाले विद्युत् उत्पादन में व्यवधान अथवा संबद्ध पारेषण प्रणाली के कारण हो।
- 18.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अन्तःक्षेप बिन्दु में परिवर्तन किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप किसी अतिरिक्त तथा नवीन गलियारे (कॉरीडोर) पर पारेषण क्षमता के आरक्षण की कार्यवाही इन विनियमों के अनुसार की जाएगी।
- 18.4 जब राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अन्तःक्षेप का/के बिन्दु(ओं) के परिवर्तन संबंधी आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई हो तो पारेषण प्रभार तथा सेवा प्रभार जिनका पूर्व में भुगतान किया जा चुका हो, को पारेषण प्रभार तथा सेवा प्रभार जो पुनरीक्षित आरक्षित पारेषण क्षमता के कारण देय हों, में समायोजित किया जाएगा।

19. विविध.—

- 19.1 **संचार सुविधा.**— क्रेता द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार सुविधा को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर परिभाषित किया जाएगा। निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता को ऐसी समस्त सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी।
- 19.2 एक निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता के पास दूरभाष, फ़ैक्स, ई-मेल आदि सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्हें अपनी संचार संबंधी प्रणाली का विवरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 19.3 **सूचना प्रणाली.**— समन्वयन अभिकरण {राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा (एसटीयू तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र एसएलडीसी)} तथा अनुज्ञापतिधारी निम्नानुसार जानकारी अपनी वेबसाईट के पृथक वेबपृष्ठ पर शीर्षक "खुली पहुँच सूचना (ओपन एक्सेस इनफार्मेशन)" के अन्तर्गत लघु-अवधि, मध्यम-अवधि तथा दीर्घ-अवधि खुली पहुँच क्रेताओं हेतु अलग-अलग पृष्ठों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परस्पर सूचना के आदान-प्रदान की दृष्टि से निर्बाध (खुली) पहुँच आवेदनों को प्रक्रियाबद्ध करने हेतु संधारित करने होंगे :
- (क) क्रेता का नाम ;
- (ख) स्वीकृत पहुँच की अवधि, (प्रारंभ तिथि तथा समापन तिथि) ;
- (ग) अन्तःक्षेप बिन्दु ;
- (घ) आहरण बिन्दु ;

- (ड) पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली की क्षमता ;
- (च) उपयोग की गई खुली पहुँच क्षमता ;
- (छ) प्रयोज्य दरें ;
- (ज) उपलब्ध पारेषण क्षमता ;
- (झ) राज्यान्तरिक निर्बाध (खुली) पहुँच के आवेदकों की प्रतीक्षा सूची, ब्योरों सहित;
- (ञ) उपयोग की गई क्षमता का स्तर (अधिक/कम) मेगावाट के रूप में, की तुलना में आवंटित क्षमता (लघु भिन्नताओं को छोड़कर) जिन्हें सुसंगत आधार पर प्रतिवेदित किया जाएगा ;
- (ट) राज्य स्थित पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की प्रणाली के लघु-अवधि क्रेताओं हेतु आधार दर (फ्लोर रेट) रूपए प्रति मेगावाट प्रति किलोवाट आवर में ;
- (ठ) निर्बाध (खुली) पहुँच हेतु प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति (दीर्घ-अवधि, मध्यम-अवधि तथा लघु-अवधि हेतु)
- 19.4 उपरोक्त जानकारी के आधार पर त्रैमासिक रिपोर्ट अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले 12 माह के दौरान पारेषण तथा वितरण प्रणाली में औसत ऊर्जा हानि संबंधी जानकारी भी ऐसी वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाएगी।
- 19.5 यदि कोई निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता अथवा अनुज्ञप्तिधारी उपलब्ध क्षमता संबंधी जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक हो तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र वांछित जानकारी दीर्घ-अवधि तथा मध्यम-अवधि निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेताओं को आगामी 15 दिवस के भीतर तथा लघु-अवधि क्रेताओं को एक दिवस के भीतर उपलब्ध कराएगा।
- 19.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपनी वेबसाइट पर भार-व्यवहार (लोड विहेवियर) में परिवर्तन के ब्यौरे उपलब्ध करायेगा।
- 19.7 इस विनियम के प्रभावशील होने की तिथि से दो माह के भीतर सूचना प्रदाय संबंधी कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।
- 19.8 समन्यवन (नोडल) अभिकरण द्वारा सुरक्षित भुगतान द्वारों (सेक्योर्ड पेमेंट गेटवेज) से युक्त ऑनलाईन प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) हेतु वेब-पोर्टल विकसित किया जाएगा। सॉफ्टवेयर में अनिवार्य रूप से सम्पूर्ण प्रक्रिया के दिवस अथवा समय पंचिग व्यवस्था को सम्मिलित किया जाएगा और इस प्रकार का परीक्षण (ट्रायल) अथवा प्रसंस्करण प्रणाली में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

- 19.9 **राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर अधोसंरचना का उपबंध.**— राज्य भार प्रेषण केन्द्र एवं राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) को राज्य में निर्बाध (खुली) पहुँच के कार्यान्वयन हेतु आधुनिकतम संचार प्रणाली की सुविधाएं तथा वास्तविक समय-सीमा के भीतर आंकड़ा अर्जन क्षमताओं को विकसित कर उपलब्ध कराना होगा, अतएव राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र एक कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार करेंगे तथा इन्हें आयोग को विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत करेंगे।
- 19.10 **निवारण क्रियाविधि.**— निर्बाध पहुँच से संबंधित कोई विवाद अथवा शिकायत जो अनुचित आचरण, विलंब, पक्षपात, जानकारी के अभाव अथवा अन्य किसी विषयवस्तु से संबद्ध हो, को समिति को प्रतिवेदित किया जाएगा जो प्रकरण का अन्वेषण कर शिकायत का निराकरण करने का प्रयास करेगी।
- 19.11 **आयोग पारेषण एवं वितरण सुविधा की उपलब्धि के संबंध में किसी असुलझे विवाद में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अपना निर्णय देगा।**
- 19.12 **समन्वयन.**— निर्बाध पहुँच के क्रियान्वयन में सफलता की प्राप्ति हेतु यह अत्यावश्यक है कि अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र परस्पर जानकारियों का आदान-प्रदान दैनिक आधार पर तथा निर्बाध (खुली) पहुँच संव्यवहारों का स्तर निर्धारण उनके तत्संबंधी आपूर्ति क्षेत्र में करें जिसका अधिक जोर ऊर्जा-प्रवाहों, पारेषण तथा वितरण लाइनों पर भार तथा प्रणाली में स्थायित्व लाने हेतु उपकरणों, उपलब्ध क्षमता, तन्त्रों (नेटवर्क) में संकुलन आदि से संबद्ध पहलुओं पर होगा।
- 19.13 **ग्रिड अनुशासन तथा विद्युत् आपूर्ति की गुणवत्ता.**— अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सभी प्रकार के युक्तिसंगत प्रयास यह सुनिश्चित करने हेतु किये जाएंगे जिसके अनुसार विद्युत् आपूर्ति के मानकों की गुणवत्ता जो आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 57, भारतीय विद्युत् ग्रिड संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत् ग्रिड संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट की गई है, उसका तंत्र (नेटवर्क) उपयोग करने वाले समस्त निर्बाध (खुली) पहुँच उपयोगकर्ताओं के बारे में उक्त सीमा तक जहां तक गुणवत्ता मानक ऐसे उपयोगकर्ताओं हेतु प्रयोज्य हो, की पूर्ति की जा सके।
- 19.14 **निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता को भारतीय विद्युत् ग्रिड संहिता, मध्यप्रदेश विद्युत् ग्रिड संहिता तथा राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करना होगा।**
- 19.15 **आदेश तथा व्यावसायिक दिशा-निर्देश जारी करना.**— अधिनियम तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए आयोग इन विनियमों को लागू करने तथा प्रक्रिया जिसका अनुसरण किया जाना है, के बारे में समय-समय पर आदेश तथा व्यावसायिक दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा।

- 19.16 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.— इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर, आयोग किसी आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकेगा जो इन विनियमों अथवा अधिनियम के उपबंधों के विरोधाभासी न होंगे जैसा कि आयोग को उचित प्रतीत हों तथा कठिनाइयां दूर करने में वांछनीय हों।
- 19.17 निर्बाध (खुली) पहुँच क्रेता, विद्युत् उत्पादक, अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कठिनाइयां जो इन विनियमों के लागू किए जाने पर उत्पन्न हों, को दूर किए जाने हेतु उचित आदेश पारित करने हेतु निवेदन कर सकते हैं।
- 19.18 संशोधन के अधिकार.— आयोग आवश्यक प्रक्रियाओं का परिपालन करने के पश्चात समय-समय पर इन विनियमों के उपबंधों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा।
- 19.19 निरसन तथा व्यावृत्ति.— विनियम अर्थात् "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुँच प्रणाली, की निबन्धन एवं शर्त) विनियम 2005, एवं इसके समस्त संशोधन, जैसा कि वे इस विनियम की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य हैं, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- 19.20 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अन्तर्निहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिए जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।
- 19.21 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से अन्यथा हो।
- 19.22 इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी विषय या अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों का उसी प्रकार से जैसा वह उचित समझे, निवर्तन कर सकेगा।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अंतर्राज्यिक खुली पहुँच के लिए निबन्धन तथा शर्त) विनियम 2021 (पुनरीक्षण-प्रथम) के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.

अनुलग्नक-1

तालिका-1								
वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क (रुपए)	आवेदन के साथ सलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियां
1.		दोनों एक ही वितरण अनुज्ञापिधारी के अन्तर्गत	राज्य भार प्रेषण केन्द्र	रु. 5000 / -	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण ; विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत क्रय-विक्रय अनुबंध ; 	<ul style="list-style-type: none"> यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक दिवस तक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 24 घंटे; यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक सप्ताह की अवधि तक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 48 घंटे ; यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 72 घंटे। 	<ul style="list-style-type: none"> चक्रण प्रभार परिचालन प्रभार असन्तुलन प्रभार प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार प्रतिसहायतानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार, यदि कोई हों अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हों अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हों अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों 	<ul style="list-style-type: none"> सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में
2.		दोनों एक ही राज्य के अन्तर्गत परन्तु भिन्न-भिन्न वितरण अनुज्ञापिधारियों के कार्य क्षेत्रों में	राज्य भार प्रेषण केन्द्र	रु. 5,000 / -	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण ; संबद्ध अनुज्ञापिधारियों सहमति ; विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत क्रय-विक्रय अनुबंध ; 	<ul style="list-style-type: none"> यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक दिवस तक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 24 घंटे ; यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक सप्ताह तक की अवधि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 48 घंटे ; 	<ul style="list-style-type: none"> पारेषण प्रभार (राज्यान्तरिक) चक्रण प्रभार परिचालन प्रभार असन्तुलन प्रभार प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार प्रतिसहायतानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार, यदि कोई हों 	<ul style="list-style-type: none"> सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में पारेषण हानि (राज्यान्तरिक) वस्तु (kind)

तालिका-1 वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	आवधि	आहरण एवं अन्तर्गत बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क (रूपए)	आवेदन के साथ सलमन किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निष्कर्षण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियां
3.		राज्य के अन्तर्गत राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली में अवस्थित अन्तर्क्षेप बिन्दु (इन्जेक्शन पाईट)	राज्य भार प्रेषण केन्द्र	रु. 5,000 /--	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण ; संबद्ध अनुज्ञापिकाओं से सहमति; विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत का क्रय-विक्रय अनुबंध ; 	<ul style="list-style-type: none"> यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 72 घंटे। लघु-अवधि खुली पहुँच की दशा में एक दिवस तक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 24 घंटे ; लघु-अवधि खुली पहुँच की दशा में एक सप्ताह की अवधि तक के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में 48 घंटे; लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में 72 घंटे। 	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हों अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हों अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों पारेषण प्रभार (राज्यान्तरिक) चक्रण प्रभार परिचालन प्रभार असन्तुलन प्रभार प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार प्रतिसहायतानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार, यदि कोई हो अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हों अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों 	<ul style="list-style-type: none"> सुसबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में पारेषण हानि वस्तु (kind) के रूप में

तालिका-1								
वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क (रुपए)	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियां
4.		भिन्न-भिन्न राज्यों में	■ क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडी सी) जहां उपभोक्ता अवस्थित है	■ केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग के अनुसार	■ आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण ■ संबंध राज्य भार प्रेषण केन्द्रों तथा यथाप्रयोज्य वितरण अनुज्ञापिधारियों की सहमति	■ केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग के विनियम अनुसार	■ पारेषण प्रभार (अन्तर्राज्यीय तथा राज्यान्तरिक) ■ चक्रण प्रभार ■ परिचालन प्रभार ■ असन्तुलन प्रभार ■ प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार ■ प्रतिसहायतानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार, यदि कोई हो ■ अतिरिक्त अधिभार यदि कोई हो ■ अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हो ■ अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हो	■ सुसंबद्ध वोल्टेज पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में ■ पारेषण हानि वस्तु (kind) के रूप में (अन्तर्राज्यीय तथा राज्यान्तरिक)
5.	प्रदेश	दोनों एक ही वितरण प्रणाली के अन्तर्गत	राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू)	रु 59,000 / -	■ आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण ■ विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् क्रय-विक्रय अनुबंध ■ ऐसा विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से	■ प्रणाली सुदृढीकरण के बिना खुली पहुँच की संभाव्यता को सूचित करने हेतु 30 दिवस ■ प्रणाली सुदृढीकरण हेतु अध्ययनों के परिणामों मय लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण अनुसूची के 45 दिवस	■ चक्रण प्रभार ■ परिचालन प्रभार ■ असन्तुलन प्रभार ■ प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार ■ प्रतिसहायतानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार, यदि कोई हो ■ अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो	■ वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में, सुसंबद्ध वोल्टेज पर

तालिका-1 वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क (रूपए)	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियां
6.		दोनों एक ही राज्य के अन्तर्गत परन्तु भिन्न-भिन्न वितरण अनुज्ञापिधारियों के कार्य क्षेत्रों में	राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू)	₹ 25,000 / -	संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टिविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डाक्यूमेंट्री एवीडेंस) यह दर्शाते हुए कि इसे मध्यम-अवधि खुली पहुँच (एमटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा	<ul style="list-style-type: none"> ■ प्रणाली सुदृढीकरण के बिना खुली पहुँच की संभाव्यता को सूचित करने हेतु 30 दिवस ■ प्रणाली सुदृढीकरण हेतु अध्ययनों के परिणामों मय लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण अनुसूची के 45 दिवस 	<ul style="list-style-type: none"> ■ अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हों ■ अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों 	<ul style="list-style-type: none"> ■ सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में ■ पारेषण हानि वस्तु (kind) के रूप में (राज्यान्तरिक)
					<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण ■ विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय-विक्रय अनुबंध ■ ऐसा विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से है, संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टिविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डाक्यूमेंट्री एवीडेंस) यह दर्शाते हुए 	<ul style="list-style-type: none"> ■ प्रणाली सुदृढीकरण के बिना खुली पहुँच की संभाव्यता को सूचित करने हेतु 30 दिवस ■ प्रणाली सुदृढीकरण हेतु अध्ययनों के परिणामों मय लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण अनुसूची के 45 दिवस 	<ul style="list-style-type: none"> ■ पारेषण प्रभार (राज्यान्तरिक) ■ चक्रण प्रभार ■ परिचालन प्रभार ■ असन्तुलन प्रभार ■ प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार ■ प्रतिसहायतानुदान (क्रास सब्सिडी) अधिभार, यदि कोई हों ■ अतिरिक्त अधिभार यदि कोई हो ■ अन्तर्संयोजन व्यय यदि कोई हों 	

तालिका-1 वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समानव्ययन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क (रूपए)	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियां
7.		राज्य के अन्तर्गत राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली में अवस्थित अन्तःक्षेप बिन्दु (इन्जेक्शन पॉइंट)	राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू)	₹ 50,000 / -	<p>कि इसे मध्यम-अवधि खुली पहुँच (एमटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ संबद्ध वितरण अनुज्ञाधिकारियों से सहमति <p>■ आवेदन शुल्क भुगतान का प्रमाण</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय-विक्रय अनुबंध ■ ऐसे विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टीविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे मध्यम-अवधि खुली पहुँच (एमटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा 	<ul style="list-style-type: none"> ■ प्रणाली सुदृढीकरण के बिना खुली पहुँच की संभाव्यता को सूचित करने हेतु 30 दिवस ■ प्रणाली सुदृढीकरण हेतु अध्ययनों के परिणामों मय लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण अनुसूची के 45 दिवस 	<ul style="list-style-type: none"> ■ अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों ■ पारेषण प्रभार (राज्यांतरिक) ■ चक्रण प्रभार ■ परिचालन प्रभार ■ असन्तुलन प्रभार ■ प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार ■ प्रतिसहायतानुदान (क्रास सब्सिडी) अधिभार, यदि कोई हो ■ अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो ■ अन्तःसंयोजन व्यय, यदि कोई हों ■ अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों 	<ul style="list-style-type: none"> ■ सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में, ■ पारेषण हानि वस्तु (kind) के रूप में (राज्यांतरिक)

तालिका-1 वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	सामन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क (रूपए)	आवेदन के साथ सलान किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियां
8.	भिल्ल-भिल्ल राज्यों में	केन्द्रीय पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (सीटीयू)	केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग के विनियम अनुसार	<ul style="list-style-type: none"> ■ संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों से सहमति ■ आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण ■ विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय-विक्रय अनुबंध ■ ऐसे विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टीविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डाक्यूमेंट्री एवीडेस) यह दर्शाते हुए कि इसे मध्यम-अवधि खुली पहुँच (एमटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा ■ संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्रों तथा यथाप्रयोज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सहमति 	<ul style="list-style-type: none"> ■ केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग के विनियम अनुसार 	<ul style="list-style-type: none"> ■ पारेषण प्रभार (राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय) ■ चक्रण प्रभार ■ परिचालन प्रभार ■ असन्तुलन प्रभार ■ प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार ■ प्रतिसहायतानुदान (क्रास सब्सिडी) अधिभार, यदि कोई हो ■ अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो ■ अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हो ■ अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों 	<ul style="list-style-type: none"> ■ सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में, ■ पारेषण हानि वस्तु (kind) के रूप में (राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय) 	

तालिका-1 वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तर्द्वेष विन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेन्सी)	आवेदन शुल्क (रूपए)	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियाँ
9.	१६६ (६६६) ६६६ ६६६-६६६	दोनों एक ही वितरण अनुज्ञापिधारी के अन्तर्गत	राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू)	₹ 1,00,000 / -	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय-विक्रय अनुबंध ऐसे विद्युत् उत्पादन केंद्र (जनरेशन स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से नहीं संयोजित संयोजन (कनेक्टिविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डोक्यूमेंट्री एवीडेंस) यह दर्शाते हुए कि इसे दीर्घ-अवधि खुली पट्टी (एलटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा 	<ul style="list-style-type: none"> प्रणाली सुदृढीकरण हेतु खुली पट्टी की संभाव्यता को सूचित करने हेतु 30 दिवस प्रणाली सुदृढीकरण हेतु अध्ययनों के परिणामों मय लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण अनुसूची के 45 दिवस 	<ul style="list-style-type: none"> चक्रण प्रभार परिचालन प्रभार असन्तुलन प्रभार प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार प्रतिसहायतानुदान (क्रास सब्सिडी) अधिभार, यदि कोई हो अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हो अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में,
10.		दोनों एक ही राज्य के अन्तर्गत परन्तु भिन्न-भिन्न वितरण	राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू)	₹ 1,00,000 / -	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय-विक्रय अनुबंध 	<ul style="list-style-type: none"> प्रणाली सुदृढीकरण हेतु खुली पट्टी की संभाव्यता को सूचित करने हेतु 30 दिवस प्रणाली सुदृढीकरण हेतु अध्ययनों के परिणामों मय 	<ul style="list-style-type: none"> पारेषण प्रभार (राज्यान्तरिक) चक्रण प्रभार परिचालन प्रभार असन्तुलन प्रभार 	<ul style="list-style-type: none"> सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में,

तालिका-1 वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	आवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क (रुपए)	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियां
		अनुज्ञापितधारियों के कार्य क्षेत्रों में			<ul style="list-style-type: none"> ऐसे विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टीविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डाक्यूमेंट्री एवीडेंस) यह दर्शाते हुए कि इसे दीर्घ-अवधि खुली पहुँच (एलटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा संबद्ध वितरण अनुज्ञापितधारियों से सहमति 	लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण अनुसूची के 45 दिवस	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार प्रतिसहायतानुदान (क्रास सबिडी) अधिभार, यदि कोई हो अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो अन्तःसंयोजन व्यय, यदि कोई हो अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> पारेषण हानि, वस्तु (kind) के रूप में (राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय) में
11.	राज्य के अन्तर्गत राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली में अवस्थित अन्तःक्षेप बिन्दु (इन्जेक्शन पॉइंट)	राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू)	रु 1,00,000/-	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क भुगतान का प्रमाण विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय विक्रय अनुबंध ऐसे विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टीविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डाक्यूमेंट्री एवीडेंस) यह दर्शाते हुए कि इसे दीर्घ-अवधि खुली पहुँच (एलटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा संबद्ध वितरण अनुज्ञापितधारियों से सहमति 	<ul style="list-style-type: none"> प्रणाली सुदृढीकरण के बिना खुली पहुँच की संभाव्यता को सूचित करने हेतु 30 दिवस प्रणाली सुदृढीकरण हेतु अध्ययनों के परिणामों मय लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण अनुसूची के 45 दिवस 	<ul style="list-style-type: none"> पारेषण प्रभार (राज्यान्तरिक) चक्रण प्रभार परिचालन प्रभार असन्तुलन प्रभार प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार प्रतिसहायतानुदान (क्रास सबिडी) अधिभार, यदि कोई हो अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में पारेषण हानि, वस्तु (kind) के रूप में 	

तालिका-1 वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप विन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क (रूपए)	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियां
12.	भिन्न-भिन्न राज्यों में	केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग के अनुसार	रु. 1,00,000	पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डोक्यूमेंट्री एवीडेंस) यह दर्शाते हुए कि इसे दीर्घ-अवधि खुली पहुँच (एलटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा	<ul style="list-style-type: none"> ■ संबद्ध अनुज्ञापिकाधारियों से सहमति ■ आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण ■ विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय-विक्रय अनुबंध ■ ऐसे विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टिविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डोक्यूमेंट्री एवीडेंस) यह दर्शाते हुए कि इसे दीर्घ-अवधि खुली पहुँच (एलटीओए) प्रारंभ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ कोई हो ■ अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हो ■ अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हो 	<ul style="list-style-type: none"> ■ सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में ■ पारेषण हानि, वस्तु (kind) के रूप में (राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय) 	
					<ul style="list-style-type: none"> ■ केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोगके विनियम के अनुसार 	<ul style="list-style-type: none"> ■ पारेषण प्रभार (राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय) ■ चक्रण प्रभार ■ परिचालन प्रभार ■ असन्तुलन प्रभार ■ प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार ■ प्रतिसहायतानुदान (क्रास सब्सिडी) अधिभार, यदि कोई हो ■ अतिरिक्त अधिभार, यदि कोई हो ■ अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हो ■ अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हो 		

तालिका-1 वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क (रूपए)	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से विवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानिया
					करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा ■ संबंध राज्य भार प्रेषण केन्द्रों तथा यथा प्रयोज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से सहमति		हों	

तालिका-2 राज्यात्तरिक पारेषण प्रणाली से संचालित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप विन्दुओं की राज्यात्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क रूप	आवेदन के साथ सलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियां
1.		दोनों एक ही राज्य के अन्तर्गत (राज्यात्तरिक पारेषण प्रणाली)	राज्य भार प्रेषण केंद्र	₹ 5,000 / -	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय विक्रय अनुबंध 	<ul style="list-style-type: none"> यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक दिवस तक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 24 घंटे ; यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक सप्ताह तक की अवधि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 48 घंटे ; यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 72 घंटे। 	<ul style="list-style-type: none"> पारेषण प्रभार (राज्यात्तरिक); चक्रण प्रभार, यदि प्रयोज्य हों; परिचालन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों; असन्तुलन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों; प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों; प्रतिस्हायतानुदान (क्रास सबसिडी) अधिभार, जैसा कि वह प्रयोज्य हो; अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हों; अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों। 	<ul style="list-style-type: none"> पारेषण हानि, वस्तु (kind) के रूप में (राज्यात्तरिक)
2.		राज्य के अन्तर्गत, वितरण प्रणाली में अवस्थित	राज्य भार प्रेषण केंद्र	₹ 5,000 / -	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय-विक्रय 	<ul style="list-style-type: none"> यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक दिवस तक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 24 घंटे 	<ul style="list-style-type: none"> पारेषण प्रभार (राज्यात्तरिक) चक्रण प्रभार, यदि प्रयोज्य हों 	<ul style="list-style-type: none"> सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु

तालिका-2								
राज्यान्तरिक परेषण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	सामन्वयन अधिकरण (नोडल एजेन्सी)	आवेदन शुल्क रूपरेखा	राज्यान्तरिक परेषण के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियाँ
		अन्तःक्षेप बिन्दु (इंजेक्शन पाईट)		आवेदन शुल्क	अनुबंध ■ संबद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से सहमति	<ul style="list-style-type: none"> ■ यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक सप्ताह तक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 48 घंटे ■ यदि लघु-अवधि खुली पहुँच हेतु एक सप्ताह से अधिक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तो 72 घंटे 	<ul style="list-style-type: none"> ■ परिचालन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों ■ असन्तुलन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों ■ प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार, जैसा कि प्रयोज्य हों ■ अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हों ■ अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों 	(kind) के रूप में <ul style="list-style-type: none"> ■ परेषण हानि वस्तु (kind) के रूप में (राज्यान्तरिक)
3.		मिन्-मिन् राज्यों में	क्षेत्र का क्षेत्रीय प्रभार प्रेषण केन्द्र (आरएलडी सी) जहाँ उपभोक्ता अवस्थित है	केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग के	<ul style="list-style-type: none"> ■ आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण ■ विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय-विक्रय अनुबंध ■ संबद्ध राज्य भार प्रेषण केन्द्रों तथा यथाप्रयोज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सहमति 	केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग के विनियम अनुसार	<ul style="list-style-type: none"> ■ परेषण प्रभार (राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय) ■ चक्रण प्रभार, यदि प्रयोज्य हों ■ परिचालन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों ■ असन्तुलन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों ■ प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों 	<ul style="list-style-type: none"> ■ सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में, यदि प्रयोज्य हों ■ परेषण हानि, वस्तु (kind) के रूप में (राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय)

तालिका-2 राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समानव्ययन अधिकरण (नोडल एजन्सी)	आवेदन शुल्क रूपए	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निपटकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियां
4.	दोनों एक ही राज्य के अन्तर्गत (राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली में)	राज्य पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू)		₹ 50,000 / -	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय विक्रय अनुबंध ऐसे विद्युत् उत्पादन केंद्र (जनरेटिंग में ग्रिड से वर्तमान में जो संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टिविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डायग्नोस्टिक एवीडेंस) यह दर्शाते हुए कि इसे मध्यम-अवधि खुली पट्टी (एमटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा 	<ul style="list-style-type: none"> प्रणाली सुदृढीकरण के बिना खुली पट्टी की संभाव्यता को सूचित करने हेतु 30 दिवस प्रणाली सुदृढीकरण हेतु अध्ययनों के परिणामों मय लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण अनुसूची के 45 दिवस 	<ul style="list-style-type: none"> अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हों अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों पारेषण प्रभार (राज्यान्तरिक) चक्रण प्रभार, यदि प्रयोज्य हो परिचालन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों असन्तुलन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार, जैसा कि प्रयोज्य हों अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हों अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों 	<ul style="list-style-type: none"> पारेषण हानि, वस्तु (kind) के रूप में (राज्यान्तरिक)
5.	राज्य के अन्तर्गत वितरण प्रणाली	राज्य पारेषण जनोपयोगी		₹ 50,000 / -	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) 	<ul style="list-style-type: none"> प्रणाली सुदृढीकरण के बिना खुली पट्टी की संभाव्यता को सूचित करने हेतु 30 दिवस 	<ul style="list-style-type: none"> पारेषण प्रभार (राज्यान्तरिक) चक्रण प्रभार, यदि प्रयोज्य 	<ul style="list-style-type: none"> सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण

तालिका-2 राज्यान्तरिक पारिषण प्रणाली से संयोजित उपमोक्ता हेतु								
अनुक्रमिक	अवधि	आवरण एवं अन्तःक्षेप बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क रूपर	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रकार	प्रयोज्य हानिया
		में अवस्थित अन्तःक्षेप बिन्दु (इन्जेक्शन पाईट)	सेवा इकाई (एसटीयू)		या विद्युत् का क्रय-विक्रय अनुबंध ■ ऐसे विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टीविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डाक्यूमेंट्री एवीडेस) यह दर्शाते हुए कि इसे मध्यम-अवधि खुली पहुँच (एमटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा ■ संबद्ध वितरण अनुज्ञापिकाधारियों से सहमति	■ प्रणाली सुदृढीकरण हेतु अध्ययनों के परिणामों मय लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण अनुसूची के 45 दिवस	हो ■ परिचालन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों ■ असन्तुलन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों ■ प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों ■ अन्तःसंयोजन व्यय, यदि कोई हों, ■ अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों	हानि, वस्तु (kind) के रूप में ■ पारिषण हानि वस्तु (kind) के रूप में (राज्यान्तरिक)
6.		भिन-भिन राज्यों में	केन्द्रीय पारिषण जनोपयोगी सेवा (सीटीयू)	केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग के विनियम अनुसार	■ आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण ■ विद्युत् क्रय अनुबंध (सीपीए) या विद्युत् का क्रय-विक्रय अनुबंध ■ ऐसे विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से	केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग के विनियम अनुसार	■ पारिषण प्रभार (राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय) ■ चक्रण प्रभार, यदि प्रयोज्य हों ■ परिचालन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों ■ असन्तुलन प्रभार, जैसा	■ सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में ■ पारिषण हानि वस्तु (kind) के

तालिका-2 राज्यान्तरिक पारिषण प्रणाली से संयोजित उपमोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तर्क्षेप बिन्दुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नीडल एजेन्सी)	आवेदन शुल्क रूपर	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानियां
7.		दोनों एक ही राज्य के अन्तर्गत (राज्यान्तरिक पारिषण प्रणाली में)	राज्य पारिषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू)	₹ 1,00,000/-	<p>संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टिविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डाक्यूमेंट्री एवीडेस) यह दर्शाते हुए कि इसे मध्यम-अवधि खुली पहुँच (एमटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा</p> <ul style="list-style-type: none"> संबंध राज्य भार प्रेषण केन्द्रों तथा यथाप्रयोज्य वितरण अनुज्ञापिकाधारियों की सहमति 	<ul style="list-style-type: none"> प्रणाली सुदृढीकरण के बिना खुली पहुँच की संभाव्यता को सूचित करने हेतु 30 दिवस प्रणाली सुदृढीकरण हेतु अध्ययनों के परिणाम मय लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण अनुसूची के 45 दिवस 	<ul style="list-style-type: none"> पारिषण प्रभार (राज्यान्तरिक) चक्रण प्रभार, यदि प्रयोज्य हों परिचालन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों असन्तुलन प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों 	<ul style="list-style-type: none"> पारिषण हानि वस्तु (kind) के रूप में (राज्यान्तरिक)
						<ul style="list-style-type: none"> कि वे प्रयोज्य हों प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हों अन्तर्संयोजन व्यय, यदि कोई हों, अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों 	<ul style="list-style-type: none"> रूप (राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय) 	

तालिका-2 राज्यान्तरिक पारिषण प्रणाली से सयोजित समोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तःक्षेप विन्धुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क रूपए	आवेदन के साथ सलमन किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रकार	प्रयोज्य हानियां
8.		राज्य के अन्तर्गत राज्यान्तरिक वितरण प्रणाली में अवस्थित अन्तःक्षेप विन्धु (इन्जेक्शन पाईट)	राज्य पारिषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू)	रु 1,00,000 / -	(डाक्यूमेंट्री एवीडेंस) यह दर्शाते हुए कि इसे दीर्घ-अवधि खुली पहुँच (एलटीओए) प्रारम्भ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा <ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क भुगतान का प्रमाण विद्युत् क्रय अनुबंध (सीपीए) या विद्युत् का क्रय विक्रय अनुबंध एसे विद्युत् उत्पादन केंद्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टीविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डाक्यूमेंट्री एवीडेंस) यह दर्शाते हुए कि इसे दीर्घ-अवधि खुली पहुँच (एलटीओए) प्रारम्भ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा 	<ul style="list-style-type: none"> प्रणाली सुदृढीकरण के बिना खुली पहुँच की संभाव्यता को सूचित करने हेतु 30 दिवस प्रणाली सुदृढीकरण हेतु अध्ययनों के परिणाम मय लागत प्राक्कलन तथा कार्य पूर्ण अनुसूची के 45 दिवस 	<ul style="list-style-type: none"> अन्तःसंयोजन व्यय, यदि कोई हों, अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों 	<ul style="list-style-type: none"> सुसंबद्ध वोल्टेज पर हानि, (kind) के रूप में यदि प्रयोज्य हो पारिषण हानि वस्तु (kind) के रूप में

तालिका-2 राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता हेतु								
अनुक्रमांक	अवधि	आहरण एवं अन्तर्देशीय विन्धुओं की राज्यान्तरिक अवस्थिति	समन्वयन अधिकरण (नोडल एजेंसी)	आवेदन शुल्क रूपर	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निराकरण हेतु समय-सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिवस संख्या)	प्रयोज्य प्रभार	प्रयोज्य हानिया
9.		भिन्न-भिन्न राज्यों में	केन्द्रीय पारेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (सीटीयू)	केन्द्रीय विनियामक आयोग के विनियम के अनुसार	<p>अनुज्ञापितधारियों से सहमति</p> <ul style="list-style-type: none"> आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण विद्युत् क्रय अनुबंध (पीपीए) या विद्युत् का क्रय-विक्रय अनुबंध ऐसे विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जनरेटिंग स्टेशन) जो वर्तमान में ग्रिड से संयोजित नहीं है, संयोजन (कनेक्टिविटी) के पूर्ण होने के बारे में लिखित साक्ष्य (डायग्नोस्टिक एवीडेंस) यह दर्शाते हुए कि इसे दीर्घ-अवधि खुली पहुँच (एलटीओए) प्रारंभ करने की नियत तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा संबद्ध राज्य प्रेषण जनोपयोगी सेवा इकाई (एसटीयू) तथा यथाप्रयोज्य वितरण अनुज्ञापितधारियों से सहमति 	केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग के विनियम अनुसार	<ul style="list-style-type: none"> पारेषण प्रभार (राज्यान्तरिक) चक्रण प्रभार, ये वे प्रयोज्य हों परिचालन प्रभार, जैसा कि प्रयोज्य हों असन्तुलन प्रभार, जैसा कि प्रयोज्य हों प्रतिक्रिया ऊर्जा प्रभार, जैसा कि प्रयोज्य हों अन्तर्संयोजन व्यय यदि कोई हों अन्य कोई प्रभार, यदि कोई हों 	<ul style="list-style-type: none"> सुसंबद्ध वॉल्टेज पर वितरण हानि, वस्तु (kind) के रूप में, यदि प्रयोज्य हों पारेषण हानि, वस्तु के रूप में (राज्यान्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय)

निर्बाध (खुली) पहुँच स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र	
परिशिष्ट-1	
(एक खुली पहुँच क्रेता द्वारा प्रस्तुत किया जाए)	
1. खुली पहुँच क्रेता का नाम	
2. खुली पहुँच का प्रकार जो चाहा गया है (उपयुक्त विकल्प को सही करें)	दीर्घ-अवधि मध्यम-अवधि लघु-अवधि
3. क्या लेन-देन (ट्रांसेक्शन) में वितरण तन्त्र (नेटवर्क) का उपयोग सन्निहित होगा	हां नहीं
4. पत्र-व्यवहार का पता	
5. सम्पर्क पता मुख्य सम्पर्क सूत्र <ul style="list-style-type: none"> ● नाम ● पद ● दूरभाष संख्या ● फ़ैक्स ● ई-मेल वैकल्पिक सम्पर्क सूत्र <ul style="list-style-type: none"> ● नाम ● पद ● दूरभाष संख्या ● फ़ैक्स ● ई-मेल 	
6. ऊर्जा अन्तरण आवश्यकता का विवरण :	
<ul style="list-style-type: none"> ● ऊर्जा की मात्रा जो पारेषित की जाएगी (मेगावाट में) ● शीर्ष (पीक) भार जिसे अन्तरित किया जाना है 	

१'
२

<ul style="list-style-type: none"> ● औसत भार जिसे अन्तरित किया जाना है ● अन्तःक्षेपण (इन्जेक्टिंग) जनोपयोगी सेवा इकाई(यों) के नाम ● ऊर्जा अन्तःक्षेपण का/के बिन्दु ● इसकी/इनकी मात्रा ● अति उच्च वोल्टेज (ईएचवी) उपकेन्द्र का वोल्टेज स्तर ● आहरणकर्ता(ओं) का/के नाम ● ऊर्जा अन्तःक्षेपण का/के बिन्दु ● इसकी/इनकी मात्रा ● अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र का वोल्टेज स्तर <p>टिप्पणी : यदि अन्तःक्षेप तथा आहरित की गई ऊर्जा की मात्रा में असमानता हो तो अवशेष ऊर्जा का उपयोग करने वाले हितग्राहियों के नाम दिये जाएं :</p>	
---	--

7. निर्बाध (खुली) पहुँच को प्रारंभ किए जाने की संभावित तिथि	
8. निर्बाध (खुली) पहुँच प्राप्त करने की अवधि	
<p>9. उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रवर्तक (प्रमोटर) का नाम ● उत्पादन क्षमता ● उत्पादन संयंत्र की अवस्थिति ● इकाइयों की संख्या तथा ईंधन की प्रत्येक इकाई प्रकार की क्षमता ● आधार भार केन्द्र (बेस लोड स्टेशन) अथवा शीर्ष भार केन्द्र (पीकिंग लोड स्टेशन) ● यदि शीर्ष (पीकिंग) भार हो तो संचालन के अनुमानित घंटे कितने होंगे ? ● यदि यह जल-विद्युत् संयंत्र है तो क्या यह नदी बहाव/जलाशय/बहुद्देशीय /पंप स्टोरेज से जल लेगा ? ● जल विद्युत् संयंत्र के संबंध में वार्षिक विद्युत् उत्पादन (एमयू) 	

<ul style="list-style-type: none"> ● स्टेप-अप उत्पादन वोल्टेज निर्दिष्ट करें -400 केवी या 220 केवी या अन्य कोई वोल्टेज : ● क्या यह केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की चिन्हांकित परियोजना है ? ● क्या यह आबद्ध (केप्टिव) पावर संयंत्र है ? (हां/नहीं) ● यदि हां तो, उसकी क्षमता का उपयोग किए जाने संबंधी विवरण दें ● परियोजना की वर्तमान स्थिति ● क्या यह विद्यमान परियोजना/विद्यमान परियोजना का विस्तार/नवीन परियोजना है ? अंकित करें। 	
<p>10. नवीन विद्युत् उत्पादन केन्द्र की दशा में</p> <p>क. इकाई वार क्षमता तथा क्रियाशील करने संबंधी कार्यक्रम (कमिशनिंग शेड्यूल)</p> <p>इकाई-प्रथम</p> <p>इकाई-द्वितीय</p> <p>इकाई-तृतीय</p> <p>इकाई-चतुर्थ</p> <p>ख. हितग्राहियों का/के नाम तथा उन्हें ऊर्जा का आवंटन :</p> <p>ग. विद्युत् उत्पादन परियोजना के संबंध में विभिन्न अनुमतियों (क्विलयरेंस) का विवरण :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● भूमि-अर्जन ● ईंधन अनुबंध पर्यावरण तथा वन अनुमति (क्विलयरेंस) ● टीईसी अनुमति (क्विलयरेंस), जहां 	<p>क्षमता (मेगावाट)</p> <p>क्रियाशील करने संबंधी कार्यक्रम (कमिशनिंग शेड्यूल)</p>

	<p>कहीं भी यह आवश्यक हो</p> <ul style="list-style-type: none">● हितग्राहियों के साथ ऊर्जा क्रय अनुबंध● क्षमता (मेगावाट) क्रियाशील करने संबंधी कार्यक्रम (कमीशनिंग शेड्यूल)		
	<p>11. बैंक ड्राफ्ट के ब्यौरे</p> <ul style="list-style-type: none">● जारीकर्ता बैंक का नाम● ड्राफ्ट संख्या● जारी होने की तिथि● राशि		

Bhopal the 14th December 2021

No1961/MPERC/2021- In exercise of powers conferred by Sections 39 (2) (d), 40 (c), 42 (2) and (3), 86(1) (c) read with Section 181 (1) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely:

MPERC (TERMS AND CONDITIONS FOR INTRA-STATE OPEN ACCESS IN MADHYA PRADESH) REGULATIONS, (REVISION -I) 2021

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND EXTENT OF APPLICATION

- i. These Regulations shall be called the “Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2021 (Revision-I) {RG-24(I) of 2021}”
- ii. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official gazette.
- iii. These Regulations shall apply within the geographical area of the State of Madhya Pradesh and shall apply to open access customers for use of intra-State transmission system and/or the distribution systems of Licensees in the State, including such system when it is used in conjunction with inter-State transmission system.

2. DEFINITIONS

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- i. “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and subsequent amendment thereof;
- ii. “Allotted distribution capacity” means the power contracted for transfer (in MW) between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to long-term customers and medium-term customers on the distribution system under normal circumstances and the expression “allotment of distribution capacity” shall be construed accordingly;
- iii. “Allotted transmission capacity” means the power contracted for transfer (in MW) between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to long-term customers and medium-term customers on the intra-State transmission system under normal circumstances and the expression “allotment of transmission capacity” shall be construed accordingly;
- iv. “Balancing and Settlement Code” means Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2015, as amended from time to time or any subsequent revision thereof;
- v. “Bulk Power Transmission Agreement” means an executed agreement that contains the terms and conditions under which an Open Access Customer is entitled to the access to an intra-State transmission system of a Transmission Licensee;

- vi. **“Bulk Power Wheeling Agreement”** means an executed agreement that contains the terms and conditions under which an Open Access Customer is entitled to the access to Distribution system of a Distribution Licensee;
- vii. **Central Commission** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in Section 76 of the Act;
- viii. **“Commission”** means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- ix. **“Day”** means a day starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours;
- x. **“Indian Electricity Grid Code (IEGC)”** means the Grid Code specified by the CERC under Clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act;
- xi. **“Madhya Pradesh Electricity Grid Code (MPEGC)”** means the State Grid Code specified by the Commission under Clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;
- xii. **“Month”** means a calendar month as per the British calendar;
- xiii. **“Nodal Agency”** means the Nodal Agency as defined in Regulation 8.1 of these Regulations;
- xiv. **“Open access”** means the non-discriminatory provision for the use of transmission lines or distribution system or associated facilities with such lines or system by any licensee or consumer or a person engaged in generation in accordance with the Regulations specified by the Appropriate Commission;
- xv. **“Open Access Customer”** means a person permitted under these Regulations to receive supply of electricity from another person other than the Distribution Licensee of his area of supply, or a generating company (including captive generating plant) or a Licensee, who has availed of or intends to avail of open access;
- xvi. **“Point of drawal”** means a connection at which electricity is transferred from the electricity transmission network or the electricity distribution network (as the case requires);
- xvii. **“Point of injection”** means a connection at which electricity is transferred to the electricity transmission network or the electricity distribution network (as the case requires);
- xviii. **“Reserved distribution capacity”** means the power transfer allowed (in MW) between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to a short-term customer on the distribution system depending on availability of distribution capacity and the expression "reservation of distribution capacity" shall be construed accordingly;

- xix. **“Reserved transmission capacity”** means the power transfer allowed (in MW) between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to a short-term customer on the transmission system depending on availability of transmission capacity and the expression "reservation of transmission capacity" shall be construed accordingly;
- xx. **“SLDC”** means the State Load Dispatch Centre established under sub-section (1) of section 31 of the Electricity Act, 2003;
- xxi. **“State”** means the State of Madhya Pradesh;
- xxii. **“Stranded transmission capacity”** means the transmission capacity in the Intra-State transmission system which is likely to remain unutilized due to relinquishment of access rights by a long-term customer in accordance with Regulation 11;
- xxiii. **“Working day”** means a day on which the offices of SLDC / Licensees (as the case may be) are open for business.
- 2.2 The words and expressions used in these Regulations but not defined but defined in the Act shall have the same meaning as they are assigned to them in the Act.

3. ELIGIBILITY FOR OPEN ACCESS AND CONDITIONS TO BE SATISFIED

- 3.1 Subject to the provisions of these Regulations, open access customers shall be eligible for open access to the intra-State transmission system of the State Transmission Utility (STU) or any other Transmission Licensee and intra-State distribution system of the State Distribution Licensees or any other Distribution Licensee.
- 3.2 Such open access shall be available for use by an open access customer on payment of such charges as may be determined by the Commission in accordance with the applicable Regulations framed for the purpose.
- 3.3 Subject to the provisions of these Regulations, open access shall be permissible to users seeking open access for a capacity of 1 MW and above:

Provided that when a person, who has established a captive generating plant, opts for open access for carrying the electricity to the destination of his own use, the limitation of 1 MW shall not be applicable:

Provided further that renewable energy generators and users shall be provided Open Access irrespective of their capacity, subject to no operational constraints in the Licensee's system:

Provided also that open access shall not be allowed for transmission and/ or wheeling of electricity to the premises where facility of net metering has been permitted in accordance with the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission

(Grid connected Net Metering) Regulations, 2015, as amended from time to time:

Provided also that the Open Access Customers if fed through mixed feeder shall also be allowed open access subject to the condition that they agree to the system constraints. In such cases, the duty of the Distribution Licensee shall be of a common carrier providing non-discriminatory open access as per Section 42 (3) of the Act:

Provided also that a person having been declared insolvent or bankrupt or having outstanding dues against him for more than two months of the billing of distribution/transmission licensee and/or SLDC charges at the time of application shall not be eligible for open access.

- 3.4 The Commission may allow open access to customers / users requiring less than 1 MW from conventional sources at such time as it may consider feasible having regard to operational constraints and other factors.
- 3.5 Pursuant to coming into force of these Regulations, the Distribution Licensees shall be required to make arrangements through contracts / agreements for access to the Transmission Licensee's network for meeting power requirements of their existing and future customers.

4. PROVISIONS FOR EXISTING ENTITIES

Existing Distribution and Trading Licensees

- 4.1 The Distribution Licensees and Trading Licensees using the intra-State transmission system and the distribution system in the State on the date of coming into force of these Regulations under an existing agreement or arrangement shall continue to avail open access on such transmission and distribution system on the same terms and conditions, for the term of the existing agreement or arrangement on payment of transmission charges, wheeling charges and other charges as may be determined by the Commission from time to time.
- 4.2 Pursuant to coming into force of these Regulations, the existing Distribution Licensees and Trading Licensees shall also be required to make firm arrangements /agreements for access to the Transmission Licensee's network for meeting power requirements of their current and future consumers. These Distribution Licensees and Trading Licensees shall, within 60 days of coming into force of these Regulations, furnish to the State Transmission Utility/Transmission Licensee and the SLDC such details, but not limited to, of capacity utilized, point of injection, point of drawal, duration of availing open access, peak load, average load or such other information as the State Transmission Utility/Transmission Licensee and / or SLDC may require and the terms and conditions for such use. The Distribution Licensee and Trading Licensee shall furnish the above information to the Commission also.

Existing customers and generators

- 4.3 The existing customers or generating companies including the renewable energy sources availing open access under agreements on the date of coming into force of these Regulations shall be entitled to continue to avail open access on such

transmission and distribution system on the same terms and conditions, for the term of the existing agreement or arrangement on payment of transmission charges, wheeling charges and other charges as may be determined by the Commission from time to time. They shall submit to the SLDC details of capacity utilized, point of injection, point of drawal, duration of availing open access, peak load, average load or such other information as the State Transmission Utility/Transmission Licensee/concerned Distribution Licensee or SLDC may require, within 60 days of coming into force of these Regulations.

- 4.4 Existing customers or generating companies under Regulation 4.3 above may continue to avail open access on terms and conditions laid down under these Regulations. The transmission charges, wheeling charges and other charges applicable for such facility shall be as determined by the Commission from time to time.

5. CATEGORIZATION OF OPEN ACCESS CUSTOMERS

5.1 The open access customers shall be classified into the following categories:

- i. **Long-term open access customers:** An open access customer availing intra-State open access for a period exceeding five years shall be a long-term open access customer:

Provided that the existing beneficiaries of State transmission system owned or operated by the State Transmission Utility shall be deemed to be the long-term customers of the system owned or operated by the State Transmission Utility for the purpose of these Regulations.

- ii. **Medium-term open access customers:** An open access customer availing intra-State open access for a period of more than 3 months and up to 5 years shall be a medium-term open access customer.
- iii. **Short-term open access customer:** An open access customer availing intra-State open access for a period up to 3 months at a time shall be a short-term open access customer.

6. ALLOTMENT PRIORITY

6.1 The allotment priority for allowing open access shall be decided in the following order of priority:

- i. Distribution Licensee (*irrespective of whether Open Access has been sought for long-term, Medium-term or Short-term*);
- ii. Other Long-term Open Access Applicants;
- iii. Other Medium-term Open Access Applicants;
- iv. Other Short-term Open Access Applicants;

Provided that two or more applications for the same duration of open access received on the same day shall be treated *pari passu* for allotment and, if the available capacity is insufficient to accommodate all applications, the applicants shall be allotted

shares in the available capacity proportionate to the capacities applied for.

- 6.2 Subject to the above clauses, the decision for allowing long-term open access and medium-term open access shall be based on 'first come first serve' basis.
- 6.3 Subject to the above clauses, the decision for allowing short-term open access shall be based either on 'first come first serve' basis or bidding, as the case may be.

7. CRITERIA FOR ALLOWING OPEN ACCESS

Transmission Open Access

- 7.1 The voltage of inter-connection shall be as per the MP Electricity Supply Code, 2021, as amended/revised from time to time.
- 7.2 The long-term access and medium-term access shall be allowed in accordance with the transmission planning criteria specified in the MP Electricity Grid Code, 2019, as amended from time to time.
- 7.3 The short-term access shall be allowed, if the request can be accommodated, by utilizing: -
- Inherent design margins;
 - Margins available due to variation in power flows; and
 - Margins available due to in-built spare transmission capacity created to cater to future load growth.

Distribution Open Access

- 7.4 The voltage of inter-connection shall be as per the MP Electricity Supply Code, 2021, as amended/revised from time to time.
- 7.5 The Distribution Licensee shall extend the facility of open access of its system, as provided in these Regulations and the duties of Distribution Licensee with respect to such supply shall be of a common carrier providing non-discriminatory open access.

8. PROCEDURE TO AVAIL OPEN ACCESS

8.1 Nodal Agency

- i. The nodal agency for arranging all types of long-term access and medium-term access, such as transmission or distribution or combination of both, shall be the State Transmission Utility (STU) who shall nominate the officer not below the rank of Superintending Engineer to process the open access applications.
- ii. The nodal agency for arranging all types of short-term open access, such as transmission or distribution or combination of both, shall be the SLDC who shall nominate the officer not below the rank of Superintending Engineer to

process the open access applications.

- iii. The Transmission Licensees and the Distribution Licensees operating in the State shall also nominate the officers not below the rank of Superintending Engineer to co-ordinate with the STU for processing the open access applications.
- iv. The names and contact details of such officers nominated by STU, SLDC and the Licensees shall be informed to the Commission and shall be available on the websites of STU, SLDC, and the Licensees.
- v. The Nodal Agencies, i.e., STU and SLDC, shall be responsible for the implementation of these Regulations and shall act under the supervision and control of the Commission for the purpose.

8.2 Guidelines

The guidelines for implementation of Intra-State Open Access Regulations, 2005 have already been issued by STU/SLDC. Any mechanism, which requires guidelines to be laid down by STU or SLDC for implementation of these revised Regulations shall be submitted to the Commission for approval.

8.3 Application Procedure:

- i. An open access customer shall file an application to the nodal agency in the format provided with these Regulations (Appendex-I). The nodal agency has the right to seek additional information as may be required. The nodal agency shall acknowledge the receipt of completed application, along with the Fees paid, to the party within one working day of receipt.
- ii. A customer intending to avail open access shall also submit a copy of his application to the Distribution Licensee who is supplying electricity to him or in whose area of supply, the point of drawal lies.
- iii. The application shall be accompanied by non-refundable application fee of Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh) only for long-term open access payable to the State Transmission Utility, Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand) only for medium-term open access payable to the State Transmission Utility, and Rs. 5,000/- (Rs. Five Thousand) only for short-term open access payable to the SLDC. The application fee shall be in the form of demand draft or through electronic transfer.
- iv. The applications received through fax / electronic mail shall also be accepted.
- v. The nodal agency shall forward a copy of the application to the Transmission Licensee and to the Distribution Licensee who is supplying electricity or in whose area of supply, the point of drawal lies.

8.4 Procedure for Long-Term Open Access and Medium-Term Open Access

- i. Based on system studies conducted and in consultation with other agencies

involved including other Transmission Licensees and Distribution Licensees, the nodal agency, i.e., STU shall, within 30 days of receipt of the application for long-term open access or medium-term open access, intimate to the applicant whether or not the long-term or medium-term open access can be allowed without further system strengthening:

Provided that where the long-term open access or medium-term open access can be allowed without further system strengthening, this shall be allowed without delay on entering into commercial agreements.

- ii. If, in the opinion of the STU, further system strengthening is essential before providing long-term open access or medium-term open access, the applicant may request the STU to carry out the system studies and preliminary investigation for the purpose of cost estimates and completion schedule for system strengthening.
- iii. The State Transmission Utility (STU) in consultation with other agencies involved including other Transmission Licensees and Distribution Licensees shall carry out the studies immediately on receipt of request from the applicant under Regulation 8.4 (i) above and intimate results of the studies to the applicant within 45 days of receipt of request for long-term open access or for medium-term open access. The input data and the output results plotted on system map and also in tabular form shall be preserved by the State Transmission Utility (STU) in electronic form and hard copies. The applicant may request the State Transmission Utility (STU) for appropriate action based on the result of the study:

Provided that in case of its failure to adhere to specified time line, Nodal Agency should immediately inform the Commission with all the relevant facts and reasons for delay:

Provided further that after making an analysis of the circumstances as explained by the Nodal Agency, the Commission shall convey its decision on the application of the prospective open access customer.

- iv. The applicant shall reimburse the actual expenditure incurred by the STU/ Transmission Licensee and /or Distribution Licensee, as the case may be, for system strengthening studies:

Provided that the fee of rupees one lakh for long-term open access and rupees fifty thousand for medium-term open access paid by the applicant shall be adjusted against the actual expenditure to be reimbursed by the applicant.

- v. In cases there is any material change in the location of the Applicant or a change by more than ten (10) percent in the quantum of power to be interchanged using the intra-State Transmission System and/or Distribution System, a fresh application shall be made, which shall be considered in accordance with the provisions of these Regulations.
- vi. The allotment of transmission capacity to a long-term or medium-term customer shall not be relinquished or transferred to any other customer without the prior approval of the Commission.

8.5 Procedure for Short Term Open Access

- i. Application for grant of short-term open access shall be processed only if such short-term access is commencing in the first month to the fourth month and is not ending beyond the fourth month, taking the month in which application is made as the first month.
- ii. The applications for grant of short-term access received in a month for open access commencing and terminating in the month in which the application is made shall be treated on first-come-first-served basis subject to availability of capacity.
- iii. The applications received after the nineteenth day of a month for open access commencing and terminating in the following month shall be treated on first-come-first-served basis, and short-term access shall be granted subject to availability of capacity.
- iv. All applications for short-term access, other than the applications for short-term access to be processed on first-come-first-served basis in accordance with (Regulation 8.5 (i)) above, received up to the nineteenth day of a month shall be considered together on the twentieth day of that month for advance reservation and shall be processed in the manner given hereunder, namely: -
 - a) The applications shall be analyzed to check for congestion on any of the corridors to be used for short-term open access;
 - b) In case the SLDC does not anticipate congestion on any of the corridors involved, the applicants shall be granted short-term access for the quantum and duration sought, latest by the twenty-fifth (25th) day of the month;
 - c) If in the opinion of the SLDC, grant of short-term open access to all the applicants is likely to lead to congestion in one or more of the corridors to be used for short-term open access for any duration, it shall inform the applicants of its opinion accordingly and the reasons thereof on or before the twenty-third (23rd) day of the month;
 - d) On receipt of intimation in accordance with sub-clause (c) above, an applicant may reduce its requirement of capacity during the period of congestion or opt for access only for the duration when no congestion is anticipated and in such a situation, he shall inform the SLDC accordingly by the twenty-fifth (25th) day of the month; and
 - e) If the SLDC still anticipates congestion in one or more of the corridors to be used for short-term open access, it shall invite electronic bids for reservation of capacity of the congested corridor in accordance with Regulation 8.6 of these Regulations on the twenty-sixth (26th) day of the month. Non-participation of an applicant in the bidding process shall be construed to mean that he is no longer interested in open access and his application shall not be processed.

- v. In the event of a reserved corridor subsequently becoming fully or partly vacant for certain duration in a month, the SLDC shall display this information in public domain on its website.
- vi. The SLDC shall lay down within 30 days of coming into effect of these Regulations, a detailed procedure for reservation of transmission and distribution capacities to the short-term customers after obtaining prior approval of the Commission, which shall include the detailed procedure for inviting bids, advance reservation, reservation on first-come-first-served basis, usage of alternate routes and any other residual matter. Any further revision of the procedure shall be carried out only after obtaining prior approval of the Commission.
- vii. Once open access has been granted, the long-term customer, medium-term customer or the short-term customer, shall not be replaced by any other person on account of a subsequent request received from such other person. The reserved transmission and distribution capacities shall not be transferred by a short-term customer to any other customer.

8.6 Bidding Process for Short-term Open Access

- i. In accordance with Regulation 8.5(iv), in case the capacity sought to be reserved by the customers is more than the available capacity at that point of time the SLDC shall invite bids from such customers.
 - ii. The floor price for bidding shall be the rate determined in accordance with Regulation 13 of these Regulations.
 - iii. The bidders shall quote their price in the denomination in which the floor price has been determined.
 - iv. No bidder shall be allowed to quote price more than five times of the floor price.
 - v. Reservation of transmission and distribution capacities shall be made in decreasing order of the price quoted.
 - vi. In case of equal price quoted by two or more bidders, the reservation of transmission and /or distribution capacity shall be made pro rata to the transmission and/or distribution capacity sought to be reserved.
 - vii. The short-term customer getting reservation for capacity less than the capacity sought by him shall pay the charges quoted by him, which in no case shall be less than the floor price.
 - viii. The short-term customers in favour of whom full capacities have been allotted, shall pay the charges quoted by the last applicant getting reservation of its full sought capacity.
- 8.7 Subject to the provisions of these Regulations, the Nodal Agency, Application fee, documents to accompany the application and time frame for disposal of application

are annexed as Annexure I to these Regulations.

8.8 Monitoring, Dispute Resolution and Review of decision

- i. The Commission shall constitute a Committee, to be known as the 'Open Access Monitoring, Dispute Resolution and Decision Review Committee' (hereinafter referred to as "the Committee").
- ii. The Committee shall consist of one representative each from the SLDC, the State Transmission Utility and Distribution Licensee, to be approved by the Commission and one person to be nominated by the Commission from amongst its staff. The representative of the Commission shall be its Coordinator. The SLDC, the State Transmission Utility, the Distribution Licensee and the Commission, may nominate one alternate member whose views shall be construed to be the views of the incumbent member whom he represents:

Provided that the members representing the SLDC, the State Transmission Utility and the Distribution Licensee shall not, unless otherwise approved by the Commission in writing, be officers below the rank of the Superintending Engineer or equivalent.

- iii. The Committee shall monitor the functioning of Nodal Agencies regularly. The Committee shall take stock of the situation at least once in three months. The STU and SLDC are obliged to provide the details of open access granted, the applications pending / rejected by the Nodal Agencies, etc., to the Committee. The Committee shall also review these Regulations once in every six months.
- iv. The customer aggrieved with the decision of the Nodal Agency shall first approach the Committee. The Committee shall resolve the disputes of open access permissions and review the decisions of Nodal Agencies when requested by the aggrieved customers.
- v. Any person aggrieved by a decision of the Nodal Agency may upon the discovery of new and important material or evidence or otherwise, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decision was passed or on account of some mistake or error apparent from the face of the record, or for any other sufficient reason, may apply for a review of such decision, within forty-five (45) days of the date of the decision, to the Committee.
- vi. An application for such review shall be filed with the Committee. Depending on whether or not there is sufficient ground for review, the Committee would either accept or reject requests for such reviews.
- vii. When it appears to the Committee that there is no sufficient ground for review, the Committee shall reject such review application.
- viii. When the Committee is of the opinion that the review application is maintainable, then it shall examine and endeavour to resolve the same.
- ix. In the event of any dispute on the decision of SLDC in the matter of providing the short-term open access as defined in these Regulations above, the matter shall be referred to the Committee.
- x. The customer may file the Petition with the Commission for seeking the order if he is not satisfied with the decision of the Committee. In this case the customer shall have to file the Petition in accordance with the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2016.

TIME SCHEDULE FOR PROCESSING APPLICATION

9.1 The following time schedule shall be adhered to by the nodal agency for processing of the application for grant of open access:

SL. No.	Type of service/activity	Maximum Processing Time (Including holidays)
1.	Short-Term Open Access -	
	Up to One day	24 hours
	Up to one week	48 hours
	More than one week	72 hours
2.	Long-Term Open Access & Medium-Term Open Access	
	Intimation regarding feasibility of access without system strengthening	30 days
	Intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule	45 days

Provided that no application shall be rejected by the Nodal Agency without communicating the reasons in writing:

Provided further that in absence of any communication related to grant of or rejection of Open Access within the time frame as specified above, the Open Access shall be deemed to have been granted, subject to system availability.

9.2 Day ahead transactions:

- i. The advance payment of transmission charges, wheeling charges, operating charge and other charges specified in Regulation 13 shall not be insisted upon. These payments can be made within 3 working days of making of the application.
- ii. A composite request for open access and scheduling shall be sent to the SLDC latest by 3.00 PM. The SLDC shall take steps to incorporate the request for open access in its schedules to be issued if the request can be accommodated without causing congestion.
- iii. A composite request for open access and scheduling to utilize surplus known after issuance of the first dispatch schedule by SLDC at 5.00 PM, must be submitted latest by 10.00 PM or preferably earlier. The SLDC shall endeavour to incorporate the same in the revised dispatch schedule to be issued, if the request can be accommodated without causing congestion.

9.3 Same Day transactions

- i. The advance payment of transmission charges, wheeling charges, operating charge and other charges specified in Regulation 13 shall not be insisted upon. These payments can be made within 3 working days of making of application.
- ii. In the event of emergency, the open access customers may locate a source of power to meet short-term emergency requirement on the same day and forward request for

open access to the SLDC. The SLDC shall endeavour to accommodate such emergency requests as soon as and to the extent feasible.

10. OPEN ACCESS AGREEMENTS

10.1 An open access customer shall enter into agreements with the concerned Licensees, generators, traders and others as applicable and fulfil the conditions as laid down under these Regulations.

10.2 **Bulk Power Transmission Agreement:** A long-term and medium-term open access customer using transmission system shall enter into Bulk Power Transmission Agreement (BPTA) with the Transmission Licensee for use of intra-State transmission system.

10.3 **Bulk Power Wheeling Agreement:** A long-term and medium-term open access customer using distribution system shall enter into Bulk Power Wheeling Agreement (BPWA) with the Distribution Licensee for use of distribution system:

Provided that if a Power Purchase and Wheeling Agreement, in accordance with the applicable Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) Regulations, has been executed by the long-term and medium-term open access customer using distribution system with the Distribution Licensee/MPPMCL, then in such case separate Bulk Power Wheeling Agreement shall not be executed.

10.4 The electronic conveyance of acceptance of agreements shall be permitted.

10.5 Within three days of furnishing the agreements, the STU / SLDC shall inform the date of commencement to the open access customer.

10.6 The Licensee shall intimate any new agreement entered into by an Open Access Customer to the Commission within seven days of formalization of the agreement in addition to displaying it on the website.

11. UNDER-UTILISATION OR NON-UTILISATION OF OPEN ACCESS CAPACITY IN INTRA-STATE TRANSMISSION SYSTEM

11.1 **Long-Term Access:** A long-term customer may relinquish the long-term access rights fully or partly before the expiry of the full term of long-term access, by making payment of compensation for stranded capacity as follows: -

i. Long-term customer who has availed access rights for at least 12 years:

a) **Notice of one (1) year** – If such a customer submits an application to the State Transmission Utility at least 1 (one) year prior to the date from which such customer desires to relinquish the access rights, there shall be no charges.

b) **Notice of less than one (1) year** – If such a customer submits an application to the State Transmission Utility in less than a period of 1 (one) year prior to the date from which such customer desires to relinquish the access rights, such customer

shall pay an amount equal to 66% of the transmission charges for the stranded transmission capacity for the period falling short of a notice period of one (1) year.

- ii. Long-term customer who has not availed access rights for at least 12 (twelve) years:
- a) Such customer shall pay an amount equal to 66% of the estimated transmission charges (net present value) for the stranded transmission capacity for the period falling short of 12 (twelve) years of access rights.

Provided that such a customer shall submit an application to the Nodal Agency at least 1 (one) year prior to the date from which such customer desires to relinquish the access rights.

- b) The discount rate that shall be applicable for computing the net present value shall be the discount rate to be used for bid evaluation in the Central Commission's Notification issued from time to time in accordance with the Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees issued by the Ministry of Power.
- c) The compensation paid by the long-term customer for the stranded transmission capacity shall be used for reducing transmission charges payable by other long-term customers and medium-term customers in the year in which such compensation payment is due and in the ratio of transmission charges payable for that year by such long-term customers and medium-term customers.

11.2 Medium-term Open Access customers:

A medium-term open access customer may relinquish rights, fully or partly, by giving at least 30 days prior notice to the nodal agency:

Provided that the medium-term open access customer relinquishing its rights shall pay applicable transmission charges for the period of relinquishment or 30 days, whichever is lesser.

11.3 Short-term Open Access customers:

- a) In case a short-term customer is unable to utilize, full or substantial part of the reserved transmission and/or distribution capacity, he shall inform the SLDC along with reasons for his inability to utilize the reserved transmission capacity and may surrender the reserved transmission and/or distribution capacity.
- b) Notwithstanding anything contained in these Regulations, the SLDC may on its own, reduce or cancel the reserved transmission and/or distribution capacity of a short-term customer, when such a short-term customer frequently underutilizes the reserved transmission and/or distribution capacity:

Provided that the reserved transmission and/or distribution capacity shall not be reduced or cancelled under this clause without a prior notice to the short-term customer whose reserved transmission and/or distribution capacity is

sought to be reduced or cancelled.

- c) The short-term customer, who has surrendered the reserved transmission and/or distribution capacity under Regulation 11.3 (a) or whose reserved transmission and/or distribution capacity has been reduced or cancelled under Regulation 11.3 (b), shall bear the transmission charges, wheeling charges and the operating charge based on the original reserved transmission and/or distribution capacity for seven days or the period of reservation surrendered or reduced or cancelled, as the case may be, whichever is shorter.

Note:

For the purpose of this clause, the expression “operating charge” shall have the same meaning as assigned to it under Regulation 13.

- d) The transmission and/or distribution capacity becoming available as a result of surrender by the short-term customer under Regulation 11.3 (a) or as a result of reduction or cancellation of the reserved transmission and/or distribution capacity by the SLDC under Regulation 11.3 (b) may be reserved for any other short-term customer in accordance with these Regulations.
- e) The customer may approach the Committee for redressal of grievances, if any.

12. CURTAILMENT ORDER

12.1 When because of constraints or otherwise, it becomes necessary to curtail the capacity allocated to the Open Access Customers, the following order of curtailment shall be adhered to:

- i. Short-term Open Access Customers (excluding Distribution Licensees);
- ii. Medium-term Open Access Customers (excluding Distribution Licensees);
- iii. Long-term Open Access Customers (excluding Distribution Licensees);
- iv. Short-term, Medium-term and Long-term Open Access capacity allocated to Distribution Licensee.

12.2 Within a category, power curtailment shall be carried out on a pro-rata basis.

13. CHARGES FOR OPEN ACCESS

13.1 The Licensee providing open access shall levy only such fees or open access charges as may be determined by the Commission from time to time. The principles of determination of the charges are elaborated hereunder.

- i. **Transmission Charges** –The transmission charges for use of the transmission system of the Transmission Licensee shall be regulated as under, namely: -
 - a) The annual Transmission Service Charges (TSC) payable by a long-term customer

and medium-term customer for use of the State Transmission System shall be determined in accordance with the terms and conditions of tariff notified under section 61 of the Act by the Commission from time to time. These charges shall be shared by the long-term open access customers and medium-term customers.

- b) The transmission charges payable by a short-term customer for the use of intra-State transmission system shall be calculated in accordance with the following formula:

STOA charges (Rs./kWh) = (Annual Transmission Service Charges /Energy handled through Intra State Transmission Network):

Provided that where a dedicated transmission system used for open access has been constructed for exclusive use of an open access customer, the transmission charges for such dedicated system shall be worked out by Transmission Licensee for their respective systems and got approved by the Commission and shall be borne entirely by such open access customer till such time the surplus capacity is allotted and used for by other persons or purposes:

Provided further that Transmission Charges shall not be applicable in case dedicated lines (as defined under Section 2(16) of the Act) constructed by generator are being utilized for supply to the open access customer.

- ii. **Wheeling Charges** – The Wheeling Charges for use of the distribution system of a Licensee shall be regulated as under, namely: -

- a) The Wheeling Charges (WC) payable by a long-term customer and medium-term customer for use of the Distribution System shall be determined in accordance with the terms and conditions of tariff notified under section 61 of the Act by the Commission from time to time. These charges shall be shared by the long-term open access customers and medium-term customers.
- b) The Wheeling Charges payable by a short-term customer for the use of distribution system shall be calculated on daily basis and shall be equal to the Wheeling Charges payable by the long-term open access customer and medium-term customer:

Provided that where a dedicated distribution system used for open access has been constructed for exclusive use of an open access customer, the Wheeling Charges for such dedicated system shall be worked out by Distribution Licensee for their respective systems and got approved by the Commission and shall be borne entirely by such open access customer till such time the surplus capacity is allotted and used for by other persons or purposes:

Provided further that Wheeling Charges shall not be applicable in case dedicated lines (as defined under Section 2(16) of the Act) constructed by generator are being utilized for supply to the open access customer.

- c) The Distribution Licensee shall maintain a separate head of account for the revenue earned from short-term open access customers and shall use this for strengthening of distribution system and not for meeting any revenue expenditure.

The Licensee shall disclose this income at the time of application of determination of Aggregate Revenue Requirement and its true up along with the details of utilization of funds.

- d) The revenue earned from the short-term open access customers shall be kept by the Distribution Licensee for making capital expenditure for development of the infrastructure.

iii. **Operating Charge –**

- a) An Open Access customer shall be liable to pay to the SLDC, the scheduling and system operation charges in accordance with Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Levy and collection of fee and charges of State Load Dispatch Centre) Regulations, 2006, amended from time to time.

Note:

The operating charge includes fee for scheduling and system operation, fee for affecting revisions in schedule on bona-fide grounds and collection and disbursement charges.

iv. **Imbalance charges –**

- a) The mismatch between the scheduled and the actual drawal at drawal point(s) and scheduled and the actual injection at injection point(s) shall be governed by the applicable Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Balancing and Settlement Code applicable to the intra-State transactions.

v. **Reactive Energy Charges -**

- a) The payment and receipt of the reactive energy charges by the customers on account of open access shall be calculated in accordance with the scheme applicable to transactions involving intra-State transmission approved by the Commission from time to time.
- b) The reactive energy drawals and injections by the embedded customers shall be governed by the scheme applicable within the State of Madhya Pradesh.

- vi. **Cross-subsidy Surcharge –** The Commission shall specify the cross-subsidy surcharge for individual categories of consumers separately in the Retail Supply Tariff Orders for the respective years.

- vii. **Additional Surcharge –**The Commission shall determine the additional surcharge on a yearly basis in the Retail Supply Tariff Orders issued by the Commission.

- viii. **Interconnection Expenses –** The open access customers seeking interconnection for their generators and loads with the grid shall be required to meet one time, i.e., at the time of interconnection, such expenses as actually incurred by the Licensee.

- ix. Any other charges as may be specified by the Commission from time to time shall be payable by the open access customer.

- 13.2 All open access users/customers must make reasonable endeavours to ensure that their actual demand or actual sent-out capacity, as the case may be, at an inter-connection does not exceed the contract maximum demand or actual sent-out capacity for that inter-connection:

Provided that for carrying out balancing and settlement of energy and demand at all entry and exit points relating to access agreements, the Licensee shall strictly adhere to the Balancing and Settlement Code/ Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement Mechanism and related matters of Wind and Solar Generating stations) Regulations, 2018/ Madhya Pradesh Electricity Grid Code, 2019, as may be applicable and as amended from time to time.

- 13.3 In case if open access customer uses inter-State Transmission System and services of Regional Load Dispatch Centre and State Load Dispatch Centre of other State, the transmission charges of CTU and STU of other State and service charges of Regional Load Dispatch Centre and State Load Dispatch Centre of other State shall be payable by the open access customer in addition to the charges fixed by the Commission.

14. ENERGY LOSSES

- 14.1 The open access customers shall bear energy losses of the transmission system and distribution system as approved by the Commission in accordance with the Regulations framed by the Commission under section 61 of the Act. The energy losses in the transmission and distribution systems shall be compensated by additional injection at the injection point(s).
- 14.2 The information regarding average energy losses for the previous 12 months shall be posted on the websites of the SLDC and the Transmission and Distribution Licensees.

15. PRIORITY FOR ADJUSTMENT OF ENERGY CREDIT

The priority for adjustment of energy drawal by an open access customer from different sources shall be as per the following sequence of reducing priority and shall be implemented for each time block, upon adjustment of applicable losses:

- (a) Renewable Energy Generators;
- (b) Captive Generating Plant;
- (c) Banked Energy;
- (d) Long-term Bilateral purchase;
- (e) Medium-term open access;
- (f) Short-term inter-State open access including Power Exchange transactions;
- (g) Short-term intra-State Open access; and
- (h) Distribution Licensee:

Provided that energy credit from more than one source from the similar category shall be adjusted on pro-rata basis of the contracted generation capacity from such source.

16. PREPARATION OF BILLS AND PAYMENT THEREOF

16.1 Bills against charges mentioned in Regulation 13 shall be prepared by the Licensee concerned or the SLDC, as the case may be. The open access customers shall pay these bills directly to the entity raising such bills.

16.2 Long-Term customers and Medium-Term customers

Security in the form of Letter of Credit (LC) for transmission and wheeling charges (as may be applicable) equal to 1/12 of the last year's bill amount (excluding the cost of power) on the basis of agreed schedule shall be maintained with the concerned Licensee. Security deposit for SLDC charges equal to the 1/12 of yearly charges shall also be maintained with the SLDC.

16.3 Short-term customers

The transmission charges, wheeling charges, operating charge and other charges shall be paid to the concerned utility on a monthly basis. Advance payment for one month or period of access, whichever period is shorter, shall be made within three working days of grant of access. Subsequent payments shall be made at least one day before beginning of next month. If duration of access granted exceeds one month, the short-term customer shall provide an irrevocable back up Letter of Credit within seven days of commencement of open access.

16.4 Payment shall be made either through cheque/demand draft payable at the location of the concerned utility or through electronic transfer.

16.5 In case the payment of any bill for charges payable under these Regulations is delayed by an open access customer beyond the due date, without prejudice to any action under the Act or any other Regulation thereunder, a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied.

16.6 Non-payment of any charge or sum of money payable by the open access customer under these Regulations shall be considered as non-compliance of these Regulations and shall be liable for action under section 142 of the Act in addition to action under section 56 of the Act.

16.7 The STU or any other Transmission Licensee or a Distribution Licensee may discontinue open access after giving customer an advance notice of fifteen (15) days without prejudice to its right to recover such charges under law:

Provided that in case open access is availed exclusively over the transmission system, concerned Transmission Licensee or STU shall disconnect the transmission of electricity on account of non-payment of dues of Distribution Licensee upon receipt of request in this regard from concerned Distribution Licensee.

16.8 In case of default in payment of charges due to the SLDC, the SLDC may refuse to schedule power to the defaulting open access customer and direct the Licensee concerned to disconnect such customer from the grid.

- 16.9 The collection and disbursement of the Imbalance Charges and the reactive energy charges shall be governed in accordance with the procedure and methodology to be specified by the Commission from time to time.

17. METERING

- 17.1 Open access customers shall provide ABT compatible special energy meters as main meters, as specified by the Commission in metering code for such consumers based on voltage, point and period of supply and tariff category. The term 'Meter' shall include Current transformers, voltage/potential transformers, wiring between them and meter box/panel. The concerned Licensee shall have to certify the meters, metering equipment and the installation of the meter. Special Energy Meters installed shall be capable of time-differentiated measurements for time-block-wise active energy and voltage differentiated measurement of reactive energy in accordance with the State Grid Code:

Provided that the existing consumers shall install Special Energy Meters within a timeframe of six (6) months from the date of notification of these Regulations.

- 17.2 Main meters shall always be maintained in good condition and shall be open for inspection by any person authorized by the nodal agency.
- 17.3 The concerned Licensee may provide check meters of the same specifications as main meters.
- 17.4 The main and check meters shall be periodically tested and calibrated by the concerned Licensee in the presence of other party involved. Main and check meters shall be sealed by both parties. Defective meter shall be replaced immediately.
- 17.5 Reading of main and check meters shall be taken periodically at appointed day and time by authorized officer of the concerned Licensee, the generator and the customer or his representative, as the case may be. Meter reading shall be communicated to SLDC, the open access customer, and the generating company or trader, as the case may be, by the Licensee, within 24 hours of meter reading.
- 17.6 Readings of the check meters shall be considered when main meter are found to be defective or stopped. Both the main meter and check meter shall be tested for accuracy if difference between the readings of main and check meters vis-à-vis main meter reading exceed twice the percentage errors permissible for relevant accuracy class.
- 17.7 If an open access customer requires the Licensee to provide main meters, he shall provide security deposit to the Licensee and shall pay for its rents as per applicable Retail Supply Tariff Order. The meter shall be maintained by the Licensee.
- 17.8 Generating Stations having multiple generating Units wherein one or more Units are contracted under captive route or third-party route, such Generating Company, shall install at their cost, Special Energy Meters, separately for each generating Unit. However, the existing generating stations shall also install, Special Energy Meters at

their cost separately for each generating Unit within six months from the notification of these Regulations, in accordance with requirements stipulated by the Nodal Agency and/or SLDC:

Provided that the installed Special Energy Meters shall be available for inspection by the Distribution Licensee or the SLDC at any time:

Provided further: that if the generator opts for installation of Special Energy Meter by the Distribution Licensee at its own cost, the Distribution Licensee shall install the same. In the intervening period till installation of Special Energy Meter, Distribution Licensee shall not deny Open Access to such consumer/ generator:

Provided also that such Generating Stations connected to Transmission or Distribution System, as the case may be, shall bear the cost of communication arrangements, for its integration into Control Centre as per the technical specifications stipulated by the Distribution Licensee and/or SLDC.

18. FLEXIBILITY TO CHANGE POINTS OF INJECTION AND DRAWAL

- 18.1 The long-term and medium-term users shall have the flexibility to change point of injection and/or point of drawal once a year subject to the results of system impact studies to be carried out by the concerned Licensees at the behest of such users, provided that the rights of existing users shall not be adversely affected. All expenses incurred by the Licensees to carry out such studies shall be reimbursed in full by such users.
- 18.2 The SLDC may allow a short-term customer to change the point or points of injection in case of any contingency arising from outage of generation or the associated transmission system, provided it is feasible.
- 18.3 The reservation of transmission capacity on additional or new transmission corridor, if any, consequent to change in point of injection allowed by the SLDC shall be processed in accordance with these Regulations.
- 18.4 When the application for change of point or points of injection is granted by the SLDC, the transmission charges and service charge already paid shall be adjusted against the transmission charges and service charge becoming payable in accordance with the reserved transmission capacity as revised.

19. MISCELLANEOUS

Communication facility

- 19.1 The communication facility to be provided by the customer shall be defined by SLDC on a case-to-case basis. The open access customer shall have to provide all such facilities.
- 19.2 An open access customer shall have the facilities of telephone, fax and email. The details of their communication systems shall be provided to the SLDC and the Nodal Agency.

Information system

- 19.3 The Nodal Agencies (STU and SLDC) and Licensees shall be required to maintain the following information on their websites, in a separate web-page titled "Open Access Information", separately for the short-term, medium-term and long-term Open Access Customers, in order to ensure transparency and carry out information exchange among themselves required to process open access applications:
- a. Name of customer;
 - b. Period of the access granted (start date and end date);
 - c. Point(s) of injection;
 - d. Point(s) of drawal;
 - e. Capacity of Transmission's system / distribution system;
 - f. Open access capacity used;
 - g. Applicable rates;
 - h. Available transmission capacity;
 - i. Waiting list of applicants for intra-State open access along with details;
 - j. The degree of utilization (over/under) in terms of MW vis-à-vis the capacity allotted (except minor variations) shall be reported on a consistent basis;
 - k. Floor rate in rupees per kWh for the short-term customers for system of Transmission Licensees and Distribution Licensees situated within the State;
 - l. Status of all applications received for open access (Long-term, medium-term as well as short-term).
- 19.4 A quarterly report based on the above information shall also be provided on the Licensee's website. Information regarding average energy loss in transmission system and distribution system for the previous 12 months should also be provided on such websites.
- 19.5 If an open access customer or Licensee so desires, the SLDC shall provide information to them on capacity available or desired within a period of fifteen days in case of a long-term open access consumer and medium-term consumer and one day in case of short-term open access consumer.

- 19.6- SLDC shall provide details of the changes in demand (load behaviour) on its website.
- 19.7 The provision of information shall commence within a period of two months from the effective date of this Regulation.
- 19.8 A web-portal shall be developed by Nodal Agency for online processing with secured payment gateways. The software shall necessarily include day or time punching of the complete process and the trials of this process or processing shall also be available in the system.

Provision of Infrastructure at SLDC

- 19.9 The SLDC and STU shall have to provide the state-of-art communication facilities and data acquisition capabilities on real time basis for implementation of intra-State open access, therefore, the STU and SLDC shall prepare the frame work and action plan and submit the same to the Commission within 30 days from the notification of these Regulations.

Redressal Mechanism

- 19.10 Any dispute or complaint relating to open access, such as unfair practice, delay, discrimination, lack of information or any other matter shall be reported to the Committee, which will investigate and endeavour to resolve the grievance.
- 19.11 The Commission shall adjudicate upon unresolved dispute regarding the availability of transmission & distribution facility.

Coordination

- 19.12 For the success of open access implementation, it is imperative that the Licensees and the SLDC carry out information exchange among themselves on a daily basis to determine the level of open access transactions in their respective areas of supply, with emphasis on energy flows, load on transmission and distribution lines and equipment to determine system stability, available capacity, congestions in the networks, etc.

Grid Discipline and Quality of Supply

- 19.13 The Licensee must use all reasonable endeavours to ensure that the quality of supply standards as prescribed by the Commission under section 57 of the Act, the Indian Electricity Grid Code and the Madhya Pradesh Electricity Grid Code are met in respect of all open access users of its network, to the extent these quality parameters are applicable to such users.
- 19.14 The open access customer shall abide by the Indian Electricity Grid Code, the Madhya Pradesh Electricity Grid Code and the instructions given from time to time by the State Transmission Utility and SLDC.

Issue of Orders and Practice Directions

19.15 Subject to the provisions of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of the Regulations and procedure to be followed.

20. Powers to Remove Difficulties

20.1. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of these Regulations or the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

20.2. The open access customers, generators, Licensees and SLDC may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulties that may arise in implementation of these Regulations.

21. Power to amend

21.1. The Commission may from time to time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations after following the necessary procedures.

22. Repeal and Savings

22.1. The Regulations namely "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005 and its amendments thereto, are hereby superseded.

22.2. Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.

22.3. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

22.4. Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

By order of the Commission,
GAJENDRA TIWARI, Secretary.

Annexure-1

Sl. No.		Period	Period Intra-State location of drawal and injection point.	Nodal Agency	Application fee (Rs.)	Documents to accompany the application	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
1.			Both within the same Distribution licensee	SLDC	Rs. 5,000/-	<ul style="list-style-type: none"> Proof of payment of Application fee; PPA or Sale/Purchase agreement of Power; 	<ul style="list-style-type: none"> 24 hours in case STOA applied for upto one day; 48 hours in case STOA applied for upto one week; 72 hours in case STOA applied for more than one week. 	<ul style="list-style-type: none"> Wheeling Charges Operating Charges Imbalance Charges Reactive Energy Charges Cross Subsidy Surcharge, if any Additional Surcharge, if any Interconnection Expenses, if any Any other Charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> Distribution loss in kind at relevant voltage level.
2.		Short-Term Open Access	Both within the same State but in areas of different Distribution Licensees	SLDC	Rs. 5,000/-	<ul style="list-style-type: none"> Proof of payment of Application fee; Consent from concerned Distribution licensees; PPA or Sale/Purchase agreement of Power; 	<ul style="list-style-type: none"> 24 hours in case STOA applied for upto one day; 48 hours in case STOA applied for upto one week; 72 hours in case STOA applied for more than one week. 	<ul style="list-style-type: none"> Transmission Charges (Intra-State) Wheeling Charges Operating Charges Imbalance Charges Reactive Energy Charges Cross Subsidy Surcharge, if any Additional Surcharge, if any 	<ul style="list-style-type: none"> Distribution loss in kind at relevant voltage level. Transmission loss in kind. (Intra-State)

Table-1 Consumer Connected to Distribution System								
Sl. No.	Period	Period Intra-State location of drawal and injection point	Modal Agency	Application Fee (Rs.)	Documents accompany application	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
							<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any 	
3.		Injection point in the intra-State transmission system within the State	SLDC	Rs. 5,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee; ▪ Consent from concerned Distribution licensees; ▪ PPA or Sale/Purchase agreement of Power; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24 hours in case STOA applied for upto one day; ▪ 48 hours in case STOA applied for upto one week; ▪ 72 hours in case STOA applied for more than one week. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State) ▪ Wheeling Charges ▪ Operating Charges ▪ Imbalance Charges ▪ Reactive Energy Charges ▪ Cross Subsidy Surcharge, if any ▪ Additional Surcharge, if any ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribution loss in kind at relevant voltage level. ▪ Transmission loss in kind. (Intra-State)
4.		In different States	RLDC of the region where consumer is located	As per Central Commission's Regulation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee. ▪ Consent from concerned SLDCs and Distribution licensees, as 	As per Central Commission's Regulation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State and Inter-State) ▪ Wheeling Charges ▪ Operating Charges ▪ Imbalance Charges ▪ Reactive Energy 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribution loss in kind at relevant voltage level. ▪ Transmission

Table-1 Consumer Connected to Distribution System							
Sl. No.	Period	Period - Intra State location of drawal and injection point	Nodal Agency	Application Fee (Rs.)	Documents to accompany the application (receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
5.	Medium -Term Open Access	Both within the same Distribution Licensee	STU	Rs. 50,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee ▪ PPA or Sale-purchase agreement of power ▪ In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cross Subsidy ▪ Surcharge, if any ▪ Additional ▪ Surcharge, if any ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any ▪ Wheeling Charges ▪ Operating Charges ▪ Imbalance Charges ▪ Reactive Energy Charges ▪ Cross Subsidy ▪ Surcharge, if any ▪ Additional ▪ Surcharge, if any ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n loss in kind. (Intra-State and Inter-State) ▪ Distribution loss in kind at relevant voltage level.

Table-1 Consumer Connected to Distribution System								
Sl. No.	Period	Period Intra-State location of drawal and injection point	Nodal Agency	Application Fee (Rs.)	Documents to accompany the application	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
6.		Both within the same State but in areas of different Distribution Licensees	STU	Rs. 50,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee ▪ PPA or Sale-purchase agreement of power ▪ In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of MTOA. ▪ Consent from concerned Distribution licensees. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 days for intimation regarding feasibility of open access without system strengthening ▪ 45 days for intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State) ▪ Wheeling Charges ▪ Operating Charges ▪ Imbalance Charges ▪ Reactive Energy Charges ▪ Cross Subsidy Surcharge, if any ▪ Additional Surcharge, if any ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribution loss in kind at relevant voltage level. ▪ Transmission loss in kind. (Intra-State)
7.		Injection point	STU	Rs.	Proof of payment of	30 days for intimation	Transmission	Distribution

Table-1
Consumer Connected to Distribution System

Sl. No.	Period	Period of Intra-State location of applicant and interconnection point	Notified Agency	Application Fee (Rs)	Documents accompany application	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
		in the intra-State transmission system within the State		50,000/-	<ul style="list-style-type: none"> Application fee PPA or Sale-purchase agreement of power station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of MTOA. Consent from concerned Distribution licensees. Proof of payment of Application fee PPA or 	<ul style="list-style-type: none"> regarding open access without system strengthening 45 days for intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule. 	<ul style="list-style-type: none"> Charges (Intra-State) Wheeling Charges Operating Charges Imbalance Charges Reactive Energy Charges Cross Subsidy Surcharge, if any Additional Surcharge, if any Interconnection Expenses, if any Any other Charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> loss in kind at relevant voltage level. Transmission loss in kind. (Intra-State)
8.		In different States	CTU	As per Central Commission's	<ul style="list-style-type: none"> Proof of payment of Application fee PPA or 	<ul style="list-style-type: none"> As per Central Commission's Regulation 	<ul style="list-style-type: none"> Transmission Charges (Intra-State and Inter-State) Wheeling Charges 	<ul style="list-style-type: none"> Distribution loss in kind at relevant voltage

Table-1

Consumer Connected to Distribution System

Sl. No.	Period	Period Intra-State location of drawal and injection point	Nodal Agency	Application Fee (Rs.)	Documents to accompany application	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
					<p>Sale-purchase agreement of power</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of LTOA. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 45 days for intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule. 	<p>Charges</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cross Subsidy Surcharge, if any ▪ Additional Surcharge, if any ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any 	
10.		Both within the same State but in areas of different Distribution Licensees	STU	Rs. 1,00,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee ▪ PPA or Sale-purchase agreement of power ▪ In case of generating station not already connected to grid, documentary 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 days for intimation regarding feasibility of open access without system strengthening ▪ 45 days for intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State) ▪ Wheeling Charges ▪ Operating Charges ▪ Imbalance Charges ▪ Reactive Energy Charges ▪ Cross Subsidy Surcharge, if any ▪ Additional Surcharge, if any 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribution loss in kind at relevant voltage level. ▪ Transmission loss in kind. (Intra-State)

Table-1
Consumer Connected to Distribution System

Sl. No.	Period	Period Intra-State location of drawal and injection point	Nodal Agency	Application Fee (Rs.)	Documents to accompany application	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
					<p>evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of LTOA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consent from concerned Distribution licensees. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any 	
11.		Injection point in the intra-State transmission system within the State	STU	Rs. 1,00,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee ▪ PPA Sale-purchase agreement of power ▪ In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 days for intimation regarding feasibility of open access without system strengthening ▪ 45 days for intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State) ▪ Wheeling Charges ▪ Operating Charges ▪ Imbalance Charges ▪ Reactive Energy Charges ▪ Cross Subsidy Surcharge, if any ▪ Additional Surcharge, if any ▪ Interconnection Expenses, if any 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribution loss in kind at relevant voltage level. ▪ Transmission loss in kind. (Intra-State)

90

Table-1 Consumer Connected to Distribution System									
Sl. No.	Period	Intra State location of Travel and injection point	Nodal Agency	Application Fee (Rs.)	Documents to accompany application	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses	
				Regulation	<p>Sale-purchase agreement of power</p> <ul style="list-style-type: none"> In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of MTOA. Consent from concerned SLDCs and Distribution licensees, as applicable 		<ul style="list-style-type: none"> Operating Charges Imbalance Charges Reactive Energy Charges Cross Subsidy Surcharge, if any Additional Surcharge, if any Interconnection Expenses, if any Any other Charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> Transmission loss in kind. (Intra-State and Inter-State) 	
9.	Long-Term Open Access	Both within the same Distribution Licensee	STU	Rs. 1,00,000/-	<ul style="list-style-type: none"> Proof of payment of Application fee PPA or 	<ul style="list-style-type: none"> 30 days for intimation regarding feasibility of open access without system strengthening 	<ul style="list-style-type: none"> Wheeling Charges Operating Charges Imbalance Charges Reactive Energy 	<ul style="list-style-type: none"> Distribution loss in kind at relevant voltage level. 	

Table-1 Consumer Connected to Distribution System								
Sl.No.	Period	Period Intra- State location of drawal and Injection point	Nodal Agency	Applicable in case (Rs.)	Documents to be submitted in the application	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
					<p>Sale-purchase agreement of power</p> <ul style="list-style-type: none"> In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of LTOA. 	<ul style="list-style-type: none"> 45 days for intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule. 	<p>Charges</p> <ul style="list-style-type: none"> Cross Subsidy Surcharge, if any Additional Surcharge, if any Interconnection Expenses, if any Any other Charges, if any 	
10.		Both within the same State but in areas of different Distribution Licensees	STU	Rs. 1,00,000/-	<ul style="list-style-type: none"> Proof of payment of Application fee PPA or Sale-purchase agreement of power In case of generating station not already connected to grid, documentary 	<ul style="list-style-type: none"> 30 days for intimation regarding feasibility of open access without system strengthening 45 days for intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule. 	<ul style="list-style-type: none"> Transmission Charges (Intra-State) Wheeling Charges Operating Charges Imbalance Charges Reactive Energy Charges Cross Subsidy Surcharge, if any Additional Surcharge, if any 	<ul style="list-style-type: none"> Distribution loss in kind at relevant voltage level. Transmission loss in kind. (Intra-State)

Table-1 Consumer Connected to Distribution System								
Sl. No.	Period	Intra-State location of approval and injection point.	Nodal Agency	Application Fee (Rs)	Documents to accompany the application for	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
					evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of LTOA.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any 	
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consent from concerned Distribution licensees. 			
11.		Injection point in the intra-State transmission system within the State	STU	Rs. 1,00,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee ▪ PPA or Sale-purchase agreement of power ▪ In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 days for intimation regarding feasibility of open access without system strengthening ▪ 45 days for intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State) ▪ Wheeling Charges ▪ Operating Charges ▪ Imbalance Charges ▪ Reactive Energy Charges ▪ Cross Subsidy Surcharge, if any ▪ Additional Surcharge, if any ▪ Interconnection Expenses, if any 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribution loss in kind at relevant voltage level. ▪ Transmission loss in kind. (Intra-State)

Table-1
Consumer Connected to Distribution System

Sl. No.	Period	Place (State, District or Division or Tehsil and Junction point)	Serving Agency	Applicable Application Fee (Rs.)	Documents accompanying application	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable Losses
					<p>connectivity showing that the same shall be completed before intending date of LTOA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consent from concerned Distribution licensees. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Any other Charges, if any 	
12.	In different States		As per Central Commission's Regulation	Rs. 1,00,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee ▪ PPA or Sale-purchase agreement of power ▪ In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the 	As per Central Commission's Regulation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State and Inter-State) ▪ Wheeling Charges ▪ Operating Charges ▪ Imbalance Charges ▪ Reactive Energy Charges ▪ Cross Subsidy Surcharge, if any ▪ Additional Surcharge, if any ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribution loss in kind at relevant voltage level. ▪ Transmission loss in kind. (Intra-State and Inter-State)

Table-1 Consumer Connected to Distribution System								
Sl. No.	Period	Period, Intra-State location of drawal and injection point	Nodal Agency	Application Fee (RS)	Disbursements to accompany application	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
					same shall be completed before intending date of LTOA. ▪ Consent from concerned SLDCs and Distribution licensees, as applicable		if any	

Table-2
Consumer Connected to Intra-State Transmission System

Sl. No.	Period	Injection point	Period, Intra-State location of Intra-State transmission system	Major Agency	Application Fee (Rs.)	Documents to accompany the application	Time frame for disposal of application (Days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
1.	Short-Term Open Access	Both within the same State (in the Intra-State transmission system)	SLDC	Rs. 5,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee. ▪ PPA or Sale-purchase agreement of power 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24 hours in case STOA applied for upto one day. ▪ 48 hours in case STOA applied for upto one week ▪ 72 hours in case STOA applied for more than one week. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State); ▪ Wheeling Charges, if applicable; ▪ Operating Charges, as applicable; ▪ Imbalance Charges, as applicable; ▪ Reactive Energy Charges, as applicable; ▪ Cross Subsidy Surcharge, as applicable; ▪ Interconnection Expenses, if any; ▪ Any other Charges, if any. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission loss in kind (Intra-State) 	
2.		Injection point in the distribution system within the State	SLDC	Rs. 5,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee. ▪ PPA or Sale-purchase agreement of power ▪ Consent from concerned Distribution licensees. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24 hours in case STOA applied for upto one day. ▪ 48 hours in case STOA applied for upto one week. ▪ 72 hours in case STOA applied for more than one week. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State) ▪ Wheeling Charges, if applicable ▪ Operating Charges, as applicable ▪ Imbalance Charges, as applicable ▪ Reactive Energy Charges, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribution loss in kind at relevant voltage level. ▪ Transmission loss in kind (Intra-State) 	

Table 2 Consumer Connected to Intra-State Transmission System								
Sl. No.	Period	Intra-State location of inter- and injection point	Notified Agency	Application Fee (Rs.)	Documents to accompany the application	Time frame for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
						as applicable	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interconnection Expenses, if any ■ Any other Charges, if any 	
3.	In different States	RLDC of the region where consumer is located		As per Central Commission's Regulation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proof of payment of Application fee. ■ PPA or Sale-purchase agreement of power ■ Consent from concerned SLDCs and Distribution licensees, as applicable 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transmission Charges (Intra-State and Inter-State) ■ Wheeling Charges, if applicable ■ Operating Charges, as applicable ■ Imbalance Charges, as applicable ■ Reactive Energy Charges, as applicable ■ Interconnection Expenses, if any ■ Any other Charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distribution loss in kind at relevant voltage level, if applicable ■ Transmission loss in kind. (Intra-State and Inter-State) 	
4.	Both within the same State (in the Intra-State transmission system)	STU		Rs. 50,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proof of payment of Application fee; ■ PPA or Sale-purchase agreement of power; ■ In case of generating 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 30 days for intimation regarding feasibility of open access without system strengthening ■ 45 days for intimation of results of studies for 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transmission Charges (Intra-State) ■ Wheeling Charges, if applicable ■ Operating Charges, as applicable ■ Imbalance Charges, as 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transmission loss in kind (Intra-State)

Sl. No.	Name of the Project	Location	Type of Project	Status of Project	Applicable Charges	Remarks
5.			Injection point in the distribution system within the State	station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of MTOA.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reactive Energy Charges, as applicable ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any 	Distribution loss in kind at relevant voltage level. Transmission loss in kind. (Intra-State)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 days for intimation regarding feasibility of open access without system strengthening ▪ 45 days for intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State) ▪ Wheeling Charges, if applicable ▪ Operating Charges, as applicable ▪ Imbalance Charges, as applicable ▪ Reactive Energy Charges, as applicable ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any 	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee; ▪ PPA or Sale-purchase agreement of power ▪ In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be 	Rs. 50,000/-	
					STU	

Table-2 Consumer Connected to Intra-State Transmission System								
Sl. No.	Period	Intra State location of arrival and injection point	State Electricity Regulatory Commission	Application (see (35))	Documents to accompany the application	Time taken for disposal of application (days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
6.	In different States	CTU	As per Central Commission's Regulation	<ul style="list-style-type: none"> completed before intending date of MTOA. Consent from concerned Distribution licensees. Proof of payment of Application fee PPA or Sale-purchase agreement of power In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of 	As per Central Commission's Regulation	<ul style="list-style-type: none"> Transmission Charges (Intra-State and Inter-State) Wheeling Charges, if applicable Operating Charges, as applicable Imbalance Charges, as applicable Reactive Energy Charges, as applicable Interconnection Expenses, if any Any other Charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> Distribution loss in kind at relevant voltage level, if applicable Transmission loss in kind. (Intra-State and Inter-State) 	

Table-2 Consumer Connected to Intra-State Transmission System								
Sl. No.	Period	Intra-State location of injection point	State Agency	Application Fee (Rs)	Documents accompanying application	Time frame for disposal of application (from receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
7.	Long-Term Open Access	Both within the same State (in the Intra-State transmission system)	STU	Rs. 1,00,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MTOA. ▪ Consent from concerned SLDCs and Distribution licensees, as applicable 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 days for intimation regarding feasibility of open access without system strengthening ▪ 45 days for intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State) ▪ Wheeling Charges, if applicable ▪ Operating Charges, as applicable ▪ Imbalance Charges, as applicable ▪ Reactive Energy Charges, as applicable ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any 	Transmission loss in kind (Intra-State)
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee ▪ PPA or Sale-purchase agreement of power ▪ In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of LTOA. 			
8.		Injection point in the distribution system within the State	STU	Rs. 1,00,000/-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proof of payment of Application fee ▪ PPA or Sale-purchase agreement of power 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 days for intimation regarding feasibility of open access without system strengthening 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission Charges (Intra-State) ▪ Wheeling Charges, if applicable ▪ Operating Charges, as applicable 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distribution loss in kind at relevant voltage level, if applicable

Table-2 Consumer Connected to Intra-State Transmission System								
No. of Period	Period	Intra-State location of and Injection point	Method Agency	Application Fee (Rs.)	Documents to accompany application	Time frame for disposal of application (Days from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
					<ul style="list-style-type: none"> In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of LTOA. Consent from concerned Distribution licensees. 	<ul style="list-style-type: none"> 45 days for intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule. 	<ul style="list-style-type: none"> applicable Imbalance Charges, as applicable Reactive Energy Charges, as applicable Interconnection Expenses, if any Any other Charges, if any 	<ul style="list-style-type: none"> Transmission loss in kind. (Intra-State)
9.	In different States		CTU	<ul style="list-style-type: none"> As per Central Commission's Regulation 	<ul style="list-style-type: none"> Proof of payment of Application fee PPA Sale-purchase agreement of power In case of generating station not already connected to grid, documentary evidence for 	As per Central Commission's Regulation	<ul style="list-style-type: none"> Transmission Charges (Intra-State) Wheeling Charges, if applicable Operating Charges, as applicable Imbalance Charges, as applicable Reactive Energy Charges, as applicable 	<ul style="list-style-type: none"> Distribution loss in kind at relevant voltage level, if applicable Transmission loss in kind. (Intra-State and Inter-State)

Table-2
Consumer Connected to Intra-State Transmission System

Sl. No.	Period, Intra-State location of origin, Intra-State location of destination and Agency	Application Fee (Rs.)	Documents accompany application	Time frame for disposal of application (from the receipt of application)	Applicable Charges	Applicable losses
			completion of the connectivity showing that the same shall be completed before intending date of LTOA. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consent from concerned STU and Distribution licensees, as applicable 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interconnection Expenses, if any ▪ Any other Charges, if any 	

APPLICATION FOR GRANT OF OPEN ACCESS-	
Appendix-1	
(To be submitted by an Open Access Customer)	
1. Name of the Open Access Customer	
2. Type of open access required (Tick the appropriate option)	Long Term _____ Medium Term _____ Short Term _____
3. Would the transaction involve utilization of the distribution network?	Yes _____ No _____
4. Address of Correspondence	
5. Contact Address Prime Contact Person <ul style="list-style-type: none"> • Name • Designation • Phone No. • FAX • E-mail Alternate Contact Person <ul style="list-style-type: none"> • Name • Designation • Phone No. • FAX • E-mail 	
6. Details of power transfer requirement <ul style="list-style-type: none"> • Quantum of power to be transmitted (MW) • Peak load to be transferred • Average load to be transferred 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Name (s) of the injecting utility • Point (s) of injection of power • Its Quantum • Voltage level of the EHV substation <p>e. Name (s) of drawee</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point (s) of injection of power • Its Quantum • Voltage level of the EHV substation <p>Note: In case of mismatch between quantum of power injected and drawal then details of balance power to other beneficiaries should be furnished.</p>	
	7. Expected date of commencement of Open Access	
	8. Duration of availing Open Access	
	<p>9. In case of Generating Station</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name of the promoter • Generation Capacity • Location of the Generation plant • No. of Units & Capacity of each unit Type of fuel • Base load station or peaking load station • If peaking load, then what is the estimated hours of running • If it is a hydro plant, then whether it is – Run of the river /Reservoir/Multipurpose / Pump storage • MU generation in a year in case of Hydro plant 	

<ul style="list-style-type: none"> • Specify the step-up generation Voltage – 400 kV or 220 kV or any other voltage • Whether it is an identified project of CEA • Is it a captive Power Plant (Yes/No) • If Yes, details of utilization • Status of the Project: • Existing/Extension of existing Project/ New project 		
<p>10. In case of a new generation station</p> <p>a. Unit wise capacity and commissioning schedule</p> <p>Unit – I: Unit – II: Unit – III: Unit – IV:</p> <p>b. Name (s) of the beneficiaries and their allocation of power</p> <p>c. Status of various clearances for the generation project</p> <ul style="list-style-type: none"> • Land acquisition • Fuel agreement Environment and forest clearance • TEC clearance, wherever required • Power purchase agreement with beneficiaries <p>Capacity (MW) Commissioning schedule</p>	Capacity (MW)	Commissioning Schedule
<p>11. Details of the Bank Draft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name of the issuing bank • Draft number • Date of issue • Amount 		